राजस्थान विधान सभा

छठी बैठक, दिनांक १७ फरवरी, १९५३

सदन का कार्य २ बज कर ३ मिनिट पर प्रारम्भ हुआ

(श्री नरोत्तमलाल जोशी अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ११३

श्री सरदारसिंह–क्या सिचाई मंत्री महोदय यह वतलाने की कृपा करेंगे :–

१. क्या राजस्थान सरकार जागीर व खालसा के काश्तकारान से भिन्न भिन्न रेट से पिलाई वसूल करती है ?

२. क्या यह सत्य है कि राजस्थान सरकार नॉन खालसा के काश्तकारान से, खालसा के काश्तकारान के मुकाबले में पिलाई टैक्स दुगुना वसूल करती है ?

३. अगर हां, तो यह भेद-भाव क्यों ?

४. क्या इस जन-तन्त्र राज्य में यह भेद भाव उचित व शोभनीय है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (सिचाई मंत्री)–उक्त प्रश्न का क्रमबद्ध उत्तर निम्नलिखित है:–

१. हां, जागीर तथा खालसा निवासी किसानों से पिलाई कर वसूली में साधारण भिन्नता है;

२. जयपुर राज्य स्थित जागीर क्षेत्र निवासी किसानों से दुगुना कर वसूल होता आया है । जोधपुर में ३३ सही १ बटे ३ (३३/१/३) प्रतिशत व जवाई में ५० प्रतिशत अधिक लिया जाता है । खालसा के किसानों से सिचाई कर वसूली व लैन्ड रेवेन्यु दोनों ही वसूल होते आये हैं;

३. चूंकि भूतपूर्व जयपुर राज्य के जागीरदारों से लैन्ड रेवेन्यू अबतक वसूल नहीं की जाती रही है इसी से सिचाई कर दुगुना है। जागीर क्षेत्र में सिचाई के साधन उपलब्ध हो जाने पर भी मालगुजारी में कोई वृद्धि नहीं की जाती रही है । स्मरण रहे खालसा में सिंचाई के साधन प्राप्त हो जाने पर मालगुजारी में वृद्धि कर दी जाती है । ये ही कारण दर में भिन्नता होने के हैं ।

४. उक्त प्रश्न संख्या ३ के उत्तर से स्पष्ट हो जाता है कि कथित भेद कोई विशेष अर्थ नहीं रखता । फिर भी प्रयत्न यह किया जाता रहा है कि हरएक से बराबर ही कर वसूल किया जावे ।

श्री भोगीलाल पंड्या–जी हां ।

एक सदस्य–किसान इसका दंड क्यों भोगें ? यह भिन्नता कब तक समाप्त हो जावेगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या–जैसे ही जागीरी प्रथा समाप्त कर दी जावेगी ।

श्री अध्यक्ष–नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ११४

श्री सरदारसिंह–क्या सप्लाई मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे:–

१. डिस्ट्रिक्ट टोंक में कितना अनाज किस किस किस्म के बीज के हेतु भेजा गया था और किन किन तहसीलों में कितना कितना अनाज वितरण हुआ ?

२. वह किस प्रणाली पर तकसीम किया गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या (खाद्य मंत्री)–बीज के हेतु २९५७ मन चना टोंक जिले में भेजा गया और वह निम्नतालिका के अनुसार वितरित किया गया:–

क्रम संख्या	नाम तहसील	निर्धारित	बांटा गया
१	टोंक	२०० मन	२०० मन
२	एग्रीकल्चर विभाग टोंक	३५९ मन	३५९ मन
३	निवाई	४९९ मन	४९९ मन
४	उणियारा	२७८ मन	१९६ मन
५	अलीगढ़	१८० मन	१८० मन
६	मालपुरा	८०८ मन	४०८ मन
७	टोडारायसिंह	६३३ मन	६३३ मन
	जोड़	२९५७ मन	२४४५ मन

(२) यह परिमित प्रणाली पर तकसीम किया गया ।

श्री सरदारसिंह–क्या यह सब बीज के लिए वितरित हो चुका ? बचा कितना ?

श्री भोगीलाल पंड्या–इसे तो आपने इसी में बाकी कर लिया होता तो अच्छा था । २९५७ मन में से २४४५ मन निकाल लेने पर करीब ५०० मन बचता है ।

श्री सरदारसिंह–जो बचा उसका क्या किया गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या–जो बचा उसको वहां की जनता के उपयोग के लिए दे दिया गया। इसे जनता के राशन कार्डों पर दिया जा रहा है ।

श्री सरदारसिंह–क्या यह बीज के टाइम पर पहुंच गया था ?

श्री भोगीलाल पंड्या–हो सकता है, कहीं देर से पहुंचा हो , मुझे तो मालूम नहीं । तहसीलदार और ग्राम पंचायत के सरपंच सरीखे जिम्मेदार व्यक्ति इस कार्य में थे । उन्होंने जिम्मेदारी से ही काम किया होगा ।

श्री सरदारसिंह–ग्राम पंचायत के सरपंच ने नहीं; बल्कि एम. एल. ए. ने जून में तार दिया था तो सितम्बर तक भी बीज नहीं पहुंचा ।

श्री भोगीलाल पंड्या–आपको मालूम होना चाहिये कि आपका तार आने से पहले ही बीज रवाना हो चुका था ।

श्री हरिकृष्ण व्यास–क्या तार का उत्तर दिया गया था ?

श्री भोगीलाल पंड्या–जी नहीं ।

एक सदस्य–उस में सुला हुआ कितना निकला ?

श्री भोगीलाल पंड्या–यह शिकायत आज तक कहीं से नहीं आई । सदन में पहली बार आपके मुख से सुन रहा हूं । इसी वर्ष का नया चना दिया गया था ।

एक सदस्य–नये साल का चना जरूर दिया गया था पर स्टोरेज की खराबी से वह सड़ गया हो; क्योंकि कई जगह से यह शिकायत आई है कि वह बोने पर उगा नहीं ।

श्री भोगीलाल पंड्या–इसकी सूचना आप मुझे पहले देते तो बड़ा अच्छा होता। पर माननीय सदस्य ने समय पर ध्यान नहीं दिया, इसका मुझे खेद है ।

प्रश्न संख्या ११५

श्री गुरुदयालसिंह संधु–क्या राजस्व मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्नों का जवाब देने की कृपा करेंगे।–

१. मु० नम्बर २१ चक ३६ एफ. तहसील करनपुर को अलाट करने के लिए एडवाइजरी कमेटी ने क्या रिपोर्ट पेश की थी ?

२. वह मु० नम्बर २१ कितने व्यक्तियों को अलाट हुआ है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)-इसके सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, जानकारी प्राप्त होने पर पेश कर दूंगा ।

(उत्तर बाद में प्राप्त हुआ जो इस प्रकार है:-

"चक ३६ के मुरब्बा नं० २१ के अलाटमेन्ट के लिए ३ व्यक्तियों ने दरख्वास्तें दी थीं। चूंकि एडवाइजरी कमेटी (Advisory Committee) ने किसी भी व्यक्ति के हक में सिफारिश नहीं की थी इसलिए लॉटरी डाली गई जो कि बग्गासिंह (Bagga Singh) के नाम खुली इसलिए यह मुरब्ब उसे अलाट किया गया। बाद में यह मालूम होने पर यह रकबा नहरी कमान्डेट है उसे नियमानुसार सिर्फ १२॥ बीघा जमीन अलाट की गई" ।)

प्रश्न संख्या ११६

श्री हरिकृष्ण व्यास-Will the Minister-in-Charge for Revenue be pleased to answer.—

(*a*) What percentage of land in Rajasthan is—

(*i*) fully settled i. e. rent rates announced and parcha lagans or pattas issued;

(*ii*) Where survey has been completed;

(*iii*) Unsurveyed.

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)-(1) 58·1 per cent.

(2) 13·8 per cent.

(3) 28·1 per cent.

श्री खेतसिंह-क्या ऐसी जगह कोई है जहां कार्य बिलकुल शुरू नहीं हुआ है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—२८.१ प्रतिशत उसी में आता है ।

श्री खेतसिंह—जिले का जिला ही बच गया है ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—अभी तक जैसलमेर जिला ही एक ऐसा है ।

श्री हिम्मतसिंह—क्या जैसलमेर, जो अनसेटल्ड एरिया है वहां समेरी सेटलमेंट होगा या रेगुलर सेटलमेन्ट होगा ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—वहां अगर किया गया तो समेरी सेटलमेन्ट ही होगा ।

श्री हिम्मतसिंह—सैटलमेन्ट करने में जो गल्तियां रह गई हैं या जो एरिया सैटल्ड हो चुका है उसके मुकाबले में जिन जिन जागीरी के गांवों में नया सैटलमेन्ट किया गया है उसका मिलान पुराने के साथ नहीं होता तो इसके लिए क्या प्रबन्ध किया गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—प्रश्न स्पष्ट नहीं समझ सका हूं। क्या आपका मतलब यह है कि पुराने और नये में भेद क्यों हुआ, यह प्रश्न है ?

श्री हिम्मतसिंह—मेरा प्रश्न यह है कि आराजी की किस्म में भी फरक रहता है और लगान के अन्दर भी फरक है। पुरानी रियासतों के सैटलमेन्ट के खिलाफ जो नया सैटलमेन्ट हो रहा है उसमें फरक क्यों है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—सैटलमेन्ट की दरों में अन्तर पड़ने का कारण बाजार के भावों में अन्तर आना है। और जो अलग अलग क्लासिफिकेशन था, अलग अलग रियासतों में, उन सबको एक ही बेसिस पर तय किया था।

एक सदस्य—क्या सरकार ने ऐसी कोई हिदायत दी है कि आमदनी को बिठाने के लिये सैटलमेन्ट की रेट भी बढ़ा दी जावे ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—जी नहीं।

एक सदस्य—तब जो जो रिपोर्टें निकली हैं सरकार उसको पब्लिश करती है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—जी नहीं।

वही सदस्य—क्या सदन की इत्तला के लिए सदन की टेबल पर रखने को मन्त्री महोदय तैयार हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मैं समझता हूं, इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ११७

श्री तनसिंह—क्या इरिगेशन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:-

१. बाड़मेर में एकवर्षीय योजना में कितना रुपया खर्च किया है ?

२. उससे कितना पानी रोजाना सप्लाई होता है ?

३. पी. डब्ल्यू. डी. का कितना वास्तविक खर्चा है ?

श्री भोलानाथ--यदि एक वर्षीय योजना से मतलब है पानी की व्यवस्था से तो बाड़मेर एक वर्षीय योजना में अनुमानित लागत व्यय ५२,५००) रुपया खर्च हुआ है। अब तक किस किस प्रकार से खर्च हुआ है इसका हिसाब इकट्ठा किया जा रहा है।

इससे आजकल १८ हजार गैलन पानी प्रतिदिन दिया जाता है।

पी.डब्ल्यू.डी. को वास्तविक खर्च के बारे में पूछा गया है, जिसका मतलब सम्भावित पानी निकालने पर मासिक खर्च से है। यदि यह अनुमान ठीक है तो इस योजना के चलाने का मासिक खर्चा ६००) रुपये के करीब आता है।

श्री तनसिंह--१८ हजार गैलन जो पानी निकलता है उसके माप के लिये क्या कोई मीटर लगा हुआ है?

श्री भोलानाथ--पंप की रफ्तार से भी यह जाना जा सकता है।

श्री संतोषसिंह--पंप किस साइज का लगा हुआ है?

श्री भोलानाथ--यह सूचना मेरे पास नहीं है।

प्रश्न संख्या ११८

श्री तनसिंह--क्या मंत्री, जन कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे:--

१. बाड़मेर से सिणदरी जाने वाली सड़क कितने मील बनकर बन्द कर दी गई है?

२. यह सड़क वापिस कब शुरू की जावेगी?

श्री भोलानाथ (निर्माण मंत्री)--बाडमेर से सिणदरी जाने वाली सड़क ५१ मील लंबी है, उसमें से १४ मील बनने के बाद बन्द करदी गई। अकाल पीडितों के इस काम पर आने की संख्या में कमी होने कारण २-८-५२ को बन्द कर दी गई।

श्री खेतसिंह--क्या इस सड़क को पंचवर्षीय योजना में शामिल करने को सरकार तैयार है।

श्री भोलानाथ--शामिल की जा सकती है।

श्री खेतसिंह--क्या यह अभी तक तय नहीं किया?

श्री भोलानाथ--मैं इस विषय में पंचवर्षीय योजना के सिलसिले में कह चुका हूं।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या एक तिहाई सड़क को बनाने में सरकार को कोई फायदा हुआ है।

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट।

श्री तनसिंह—पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बाड़मेर जिले की भी कोई सड़क ली गई है ?

श्री भोलानाथ—इस प्रश्न का उत्तर में दे चुका हूं। पंच-वर्षीय योजना में जिन जिन कामों को लिया जायगा उनकी विगतवार सूची भारत सरकार की मन्जूरी आने पर पेश की जायगी ।

प्रश्न संख्या १२०

श्री गुरुदयालसिंह संधु—क्या सप्लाई मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्नों का जवाब देने की कृपा करेंगे:—

१. गंगानगर सुगर मिल (बीकानेर इन्डस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड, गंगानगर) में साल १९५१-५२ में कितने गन्ने की पिडाई की गई है ?

२. उसमें से कितने गन्ने की कीमत अदा की गई और वह किस हिसाब से ?

श्री भोगीलाल पंड्या—१९५१-५२ में बीकानेर इन्डस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड, गंगानगर, ने १३०२७४१ मन २४ सेर (तेरह लाख दो हजार सात सौ इकतालीस मन चौबीस सेर) गन्ने की पिडाई की जिसमें ६२०६०३ मन १६ सेर की कीमत नकद में अदा की और बाकी ३८१८३८ मन ५ सेर गन्ने की कीमत बदले में खान्ड देकर अदा की ।

गन्ने का चकती पैसा किसानों को अदा कर दिया गया और कुछ भी पैसा अदा करना बाकी नहीं है ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—जब वे खान्ड दे सकते थे तो उनसे पैसा क्यों लिया गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यह किसानों ने और इन्डस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड वालों के आपसी समझौते के अनुसार तय किया गया था, ऐसा मालूम हुआ है ।

श्री गुरुदयाल सिंह संधु—क्या सरकार को यह मालूम है कि ऐसा कोई तय नहीं हुआ है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—सरकार को यह मालूम हुआ है कि उनके आपस में यह तय हुआ था ।

श्री गुरुदयाल सिंह संधु—क्या सरकार इस बात की जांच करवाने के लिये तैयार है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जांच करवाने से तो यह मालूम हुआ है; उसी के आधार पर जानकारी दी जारही है ।

श्री गुरुदयाल सिंह सन्धु—पहले भी कितनी दफा जांच के लिये कहा जा चुका है क्या आज किसी की भी जांच करवाई गई ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जांच से मालूम हुआ है , वही बतलाया गया है और आगे भी जानकारी प्राप्त करके ही बतलाया जावेगा ।

Page No.8

श्री गुरूदयालसिंह सन्धु--यह जानते हुए भी कि गल्ला दिया गया उनसे कोई तहरीर नहीं हुई थी; क्या सरकार इस विषय में जानकारी करने की कोशिश करेगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—अवश्य ।

श्री गुरूदयालसिंह सन्धु--कब तक ?

श्री भोगीलाल पंड्या—अभी मालूम हुआ है, उस आधार पर जरूर जल्दी जांच की जायगी ।

प्रश्न संख्या १२१

श्री भैरू सिंह—क्या खाद्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(अ) राजस्थान में कौन कौन सी जातियों को बेकवर्ड क्लासेज में लिया गया है ?

(ब) उनकी प्रत्येक की जनसंख्या कितनी-कितनी है ?

(स) इन जातियों के उत्थान के लिये सरकार ने सन् १९५० से ५३ तक जिलेवार किस किस रूप में कितनी-कितनी सहायता किस-किस जाति को दी है ?

श्री भोगीलाल पंड्या--राजस्थान सरकार ने जिन जातियों को बेकवर्ड क्लासेज में लिया है उनकी सूची सदन की मेज पर रखी गई ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री भैरू सिंह—इसकी एक कॉपी मुझको भी दी जाय ।

श्री अध्यक्ष—I may say that when the Ministers think that they have a long statement to make by way of reply, they should supply a copy of the statment to the Member concerned and they can place the statement on the table.

श्री भोगीलाल पंड्या—भविष्य में आपकी आज्ञानुसार कर लिया जायगा ।

श्री भोगीलाल पंड्या-प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर यह है कि जातिवार जनसंख्या उपलब्ध नहीं है । १९५१ की जनगणना के अनुसार ४४ जातियां बेकवर्ड क्लासेज में ली गई हैं, जिनकी जिलेवार संख्या निम्न प्रकार है ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री दिलीपसिंह--क्या यह राजस्थान गजट में प्रकाशित नहीं हुए हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या--राजस्थान गजट में निकल चुके है ।

एक सदस्य---गजट सब मेम्बरों के पास नहीं आता है।

श्री भोगीलाल पंड्या---अब से सब मेम्बरों के पास गजट जाने लग गया है। फिर भी १९५१ की जनगणना के अनुसार जितनी जातियों को इसमें सम्मिलित किया गया है उनकी जिलेवार संख्या निम्न प्रकार है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री रोशनलाल---उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में और जगह तथा खेरवाड़े में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कोई लोग नहीं रहते हैं क्या: जैसा कि बांसवाड़े और डूंगरपुर के बारे में आपने बताया?

श्री भोगीलाल पंड्या (बेकवर्ड क्लासेज वेलफेयर मंत्री)---यह मैं कई बार बता चुका हूं कि वहां जो रहते हैं वे भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं, किन्तु वे नहीं माने गये हैं।

श्री रोशनलाल---कारण क्या है कि डूंगरपुर और बांसवाड़े के रहने वाले जो लोग हैं वे तो भील कहे जाते हैं; लेकिन खेरवाड़े में जो उनकी जाति के लोग रहते हैं क्या उनमें बेटी व रोटी व्यवहार नहीं होता है?

श्री भोगीलाल पंड्या (बेकवर्ड क्लासेज वेलफेयर मंत्री)---अवश्य होता है। यह अर्ज किया गया है कि उनको शामिल करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री रोशनलाल---शामिल करने का प्रयत्न कब से शुरू हुआ है?

श्री भोगीलाल पंड्या (बेकवर्ड क्लासेज वेलफेयर मंत्री)---जिस समय से यह मालूम हुआ है कि उदयपुर के भीलों को शेड्यूल्ड ट्राइब्स नहीं माना गया है उस समय से ही प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री रोशनलाल---डूंगरपुर के शेड्यूल्ड एरिया घोषित होने के कितने समय बाद से?

श्री भोगीलाल पंड्या (बेकवर्ड क्लासेज वेलफेयर मंत्री)---राजस्थान सरकार को ज्यों ही मालूम हुआ उसके बाद से बराबर प्रयत्न चालू है।

श्री रोशनलाल---पहले से नहीं?

श्री भोगीलाल पंड्या (बेकवर्ड क्लासेज वेलफेयर मंत्री)---पहले के विषय में मुझे तो नहीं मालूम। उस समय की सरकार ने जो उचित समझा होगा वह किया होगा।

श्री रोशनलाल---क्या आपको मालूम नहीं कि डूंगरपुर और खेरवाड़े में अलग अलग जो लोग रहते हैं उनमें कोई अन्तर है?

श्री भोगीलाल पंड्या (बेकवर्ड क्लासेज वेलफेयर मंत्री)---हो सकता है कि उस समय की सरकार को नहीं मालूम हो। ज्यों ही सरकार को मालूम हुआ तब से वह बराबर प्रयत्न कर रही है।

एक माननीय सदस्य--यह भेद कब बन्द होगा ?

श्री भोगीलाल पंड्या (बेकवर्ड क्लासेज वेलफेयर मंत्री)–विधान के अनुसार जब समय होगा।

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)–मीणों की जनसंख्या क्या आप बता सकते हैं, जिनको बैकवर्ड क्लासेज में लिया गया है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (बेकवर्ड क्लासेज वेलफेयर मंत्री)–जी, हां। १९४१ की जनसंख्या के हिसाब से उनकी जनसंख्या आठ, साढे आठ लाख के करीब थी।

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)–मीणों के लिए कितनी सहायता दी गई है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (बेकवर्ड क्लासेज वेलफेयर मंत्री)–अन्य बेकवर्ड क्लासेज को जो छात्रवृत्ति आदि की सहायता दी जाती है वह दी जाती है। उनके जितने भी छात्रों की अर्जियां आती हैं और जिनको ठीक समझा जाता है उन्हें सहायता दी जाती है। अभी मैंने जो सूची दी उसमें आपने देखा होगा कि जयपुर में काफी रुपयों की छात्रवृति मीणों और दूसरी बेकवर्ड क्लासेज और हरिजनों को दी गई है।

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)–क्या सरकार ने जो सहायता दी है वह मीनगान में जो जरायम पेशा हैं उनकी, इस आदत को रोकने के लिए, सहायता दी है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (बेकवर्ड क्लासेज वेलफेयर मंत्री)–जैसा कि मालूम हुआ है कि चौकीदार मीणों को ज्यादातर सहायता देने का प्रयत्न किया गया है।

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ़)–क्या चौकीदार मीणों को बेकवर्ड क्लासेज में माना गया है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (बेकवर्ड क्लासेज वेलफेयर मंत्री)–जी हां।

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)–कितनों को किस प्रकार की सहायता दी गई है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (बेकवर्ड क्लासेज वेलफेयर मंत्री)–जरायम पेशा के विद्यार्थियों की एक भी अर्जी ऐसी नहीं है जिसको सरकार ने मना किया हो।

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)–ऐसी कितनी अर्जियां सरकार ने मन्जूर की हैं ?

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ)–क्या मीणों का ऐसा भी आवेदन-पत्र सरकार के पास आया है कि हमको बेकवर्ड क्लासेज में नहीं माना जाये ?

श्री भोगीलाल पंड्या (बेकवर्ड क्लासेज वेलफेयर मंत्री)–दोनों तरह के आवेदन-पत्र आये थे; लेकिन जब उनको मालूम हुआ कि बेकवर्ड क्लासेज में दाखिल होने से सहायता मिलती है तो उन्होंने कहा कि वे भी प्रिमिटिव ट्राइब्स में से हैं। दोनों तरह के प्रार्थना-पत्र अवश्य आये हैं।

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ़)--सरकार को ऐसा कृपापात्र बनने की क्या आवश्यकता थी ? जब लेने वाला ही यह कहता है कि मुझे जरूरत नहीं है तो फिर उनको क्यों दिया जाता है।

श्री भोगीलाल पंड्या (बेकवर्ड क्लासेज वेलफेयर मंत्री)--सरकार किसी के दरवाजे पर नहीं पहुंची। वे लोग अपने आप ही आये थे।

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ़)--कुछ ने इन्कार भी किया था फिर उसके बाद क्यों लिया गया?

श्री भोगीलाल पंड्या (बेकवर्ड क्लासेज वेलफेयर मंत्री)--मेरे सामने इन्कार नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--(श्री भैरूंसिंह के बोलने के लिए उठने पर) आॅर्डर, आॅर्डर!

श्री रोशनलाल--जब चौकीदार मीणों को बेकवर्ड क्लासेज में नहीं माना है तो किस क्षेत्र के वे मीणे थे?

श्री भोगीलाल पंड्या (बेकवर्ड क्लासेज वेलफेयर मंत्री)--मीणे जयपुर डिविजन के थे।

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १२२

श्री तेजमल बापना--Will the Labour Minister be pleased to state.—

(*i*) What is the policy and practice regarding Registration of Trade Unions for one Industry?

(*ii*) If the policy and practice is that of only one union, how many unions are registered for Mewar Textile Mills. Bhilwara ?

(*iii*) Is there any other industry in Rajasthan where more than one Trade Union is registered ?

(*iv*) If not, why another Union was registered for Mewar Textile Mills Bhilwara when already there was an existing Union ?

(*v*) What measures the Government is taking to implement uniform policy for Rajasthan in general and Mewar Textile Mills Bhilwara in particular.

(*vi*) Is the Government aware that labour could get no relief since the new Union was registered as there is rivalry between them and management got the chance to play its game ?

श्री रामकरण जोशी (श्रम मंत्री)--(१) ऐसे मामलों में सरकार की स्थायी नीति व प्रथा इण्डियन ट्रेड यूनियन एक्ट, १९२६, की धारा ४ के प्रावधानों का अनुसरण करने की है जिसके अनुसार

किसी भी व्यवसायिक संघ के कोई भी सात या अधिक सदस्य व्यवसायिक, संघ के नियमों पर हस्ताक्षर करके तथा पंजीयन के संबन्ध में इस एक्ट के अन्य प्रावधानों का पालन करके व्यवसायिक संघ का इस एक्ट के अन्तर्गत पंजीयन कराने के लिये प्रार्थना कर सकते हैं।

(२) प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर उपरोक्त प्रश्न (१) के उत्तर में ही समाविष्ट है, दूसरे भाग का उत्तर है कि मेवाड टैक्स्टाइल मिल्स, भीलवाडा, के दो व्यवसायिक संघ पंजीयित हैं।

(३) इसका उत्तर है 'नहीं'।

(४) वर्तमान इन्डियन ट्रेड यूनियन एक्ट, १९२६, में एक उद्योग के लिए एक से अधिक व्यवसायिक संघ का पजीयन करने पर कोई रुकावट नहीं है।

(५) यद्यपि प्रश्न अधिक स्पष्ट नहीं तथापि यह कहा जा सकता है कि सरकार की नीति वही है जो ऊपर प्रश्न (१) के उत्तर म पहले ही बतला दी गई है।

(६) हां, परन्तु मिल के दोनों में किसी भी व्यवसायिक संघ ने जब कभी भी विवाद सरकार के सम्मुख रखा तब तब ही श्रम सवन्धी कानूनों के प्रावधानों के अनसार सरकार द्वारा आवश्यक कार्यवाही की गई!

श्री तेजमल बापना–Question No. (iv) has not been answered. It says "why another Union was registered for Mewar Textile Mills Bhilwara when already there was an existing Union".

श्री रामकरण जोशी (श्रम मन्त्री)—मैंने प्रश्न के प्रथम भाग के उत्तर में निवेदन किया है कि इन्डियन ट्रेड यूनियन्स एक्ट, १९२६, की धारा ४ के अन्तर्गत किसी भी सात या उनसे अधिक सदस्य व्यवसायिक संघ के नियमों पर हस्ताक्षर करके और एक्ट की अन्य शर्तों का पालन करते हुए अपने सं को रजिस्टर करा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

श्री रघुराजसिंह—On a point of order, Sir, according to Rule 28, Questions asking a statement of the policy of the Government cannot be asked. This is a question of policy and should not have been asked.

श्री अध्यक्ष—It is regarding a particular law, law of registration; whether the Government encourages it. It is nothing about policy.

प्रश्न संख्या १२३.

श्री तनसिंह–क्या मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे:–

(१) बाडमेर की ट्रेजरी में ट्रेजरी मेन्युअल की मंशा के विरुद्ध स्थानीय म्युनिसिपल फण्ड म प्रिऑडिट सिस्टम जारी है?

Page No.13

(२) क्या इस सिस्टम को जारी रखने की कोई खास वजह है ?

श्री रामकरण जोशी–(१) बाढमेर ट्रेजरी में, प्रीऑडिट सिस्टम ए. जी. राजस्थान के हुक्म संख्या २।२०६३ दिनांक १६.७.५० से जारी था, जो ट्रेजरी मेन्युअल की मंशा के विरुद्ध होने के कारण अब बन्द कर दिया गया है ।

(२) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री तनसिंह–यह कब से बन्द हुआ है ?

श्री रामकरण जोशी–जब से सरकार के पास इस किस्म की शिकायत आई, उसके बाद से यह बन्द हुआ है ।

प्रश्न संख्या १२४.

श्री तेजमल बापना–क्या मंत्री राजस्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे:–

(अ) ग्राम अगरपुरा ,तहसील भीलवाड़ा, की पैमाईश किस साल प्रारम्भ हुई व किस साल समाप्त होकर काश्तकारों को पानडियें मिली ?

(ब) इस मौजे की पैमाईश में कौन कौन अमीन कौन कौन इन्सपेक्टर व कौन कौन ऑफिसर थे ?

(स) सुवाना ग्राम इस मौजे से कितना दूर है और वहां की जमीन अगरपुरा ग्राम से किस्म व पैदावार में अच्छी है या बराबर की या खराब ?

(ड) यदि सुवाना ग्राम की जमीन अच्छी है तो वहां ऊंची से ऊंची लगान की शरह क्या है और इस मौजे अगरपुरा की क्या है ?

(ढ) क्या यह सही है कि पैमायश के पहले इस ग्राम की आमदनी केवल २२००) थी और अब ३६००) (तीन हजार छः सौ) हो गई है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(फ) क्या यह भी सही है कि यहां की पैमायश करने वाले कर्मचारियों ने नाजायज तौर पर बहुत से किसान ... एक आध बीघा आराजी पीवत होने पर भी ४-५ बीघा पीवत दर्ज कर दी और उसी का लगान वसूल किया जा रहा है ?

(ब) क्या सरकार इस मौजे की पैमायश की किसी ईमानदार ऑफिसर द्वारा दुबारा जांच कराने को तैयार है ? यदि हां, तो कब तक यह संभव हो सकेगा और कब तक वहां की लगान वसूली मुल्तबी की जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)-

(अ) सर्वे सन् १९५० में हुई व तस्दीक किस्म जमीन की कार्यवाही सन् १९५१ में हुई और पानड़ी तकसीम सन् ५२ में हुई।

पैमाईश

(ब) अमीन श्री शिवनाथसिंह इन्सपेक्टर, श्री वजीर मोहम्मद और ए.एस.ओ. निजामुद्दीनखां।

तसदीक

अमीन श्री धर्मचन्द, इन्सपेक्टर श्री पुरुषोत्तमलाल और ए.एस.ओ. श्री बाबूलाल।

(स) सुवाना ग्राम इस मौजे के पश्चिम में दो मील की दूरी पर है। इसमें सब किस्म की जमीन है। किस्म जमीन व पैदावार में यह गांव अगरपुरा के बराबर ही है।

(द) नहीं, सुवाना का बन्दोबस्त १९२८ में हुआ था।

(ई) इसकी आमदनी खालसा मकबूजा १७३२) रुपया थी और हाल तजवीजशुदा बन्दोबस्त में २०७०) रुपया है। जिसमें बेशी सिर्फ ३३८) रुपया है, जो भावों को देखते हुये अधिक नहीं है।

(फ) नहीं, अगर कोई ऐसा उदाहरण है तो उस की जांच की जावेगी।

(ज) इसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

एक सदस्य—क्या भाव घट जाने से अनाज की रेट भी घटा दी जाएगी?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—अनाज की रेट जब तय की जाती है तो वह पिछले कई वर्षों के औसत को लेकर तय की जाती है।

प्रश्न संख्या १२५.

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या राजस्व मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

(क) इस साल गंगानगर जिले में महकमा माल ने पटवारियों की मारफत कितने इलाके में परची मतालबा व परची गिरदावरी तकसीम की है?

(ख) क्या सरकार के ध्यान में यह बात है कि परची गिरदावरी व मतालबा तकसीम होने की वजह से पटवारी इन्दराज में अपनी मनमानी करते हैं?

(ग) इससे लाखों रुपयों का नुकसान सरकार को हो रहा है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)–

(क) परची गिरदावरी और मतालबा फसल खरीफ व रबि में नियत तारीखों पर हमेशा बांटी जाती है और इस साल भी हमेशा की तरह बांटी गई।

(ख) नहीं।

(ग) चूंकि परचियां वक्तपर तकसीम की जाती है इसलिए सरकार को नुकसान का सवाल पैदा नहीं होता। यदि कोई खास उदाहरण दिया जाय तो इस विषय में मुनासिब छानबीन की जायगी।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु–क्या सरकार किसी एक भी गांव का नाम बताएगी कि गंगानगर के फलां गांव में परची बांटी गई ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया–मैं समझता हूं कि परची सब जगह पर बांटी गई है।

श्री मानसिंह–क्या किसी एम. एल. ए. के पास भी कोई चक है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया–मैं समझता हूं कि प्रश्न कुछ और है और आप कुछ और पूछ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–ऑर्डर, ऑर्डर !

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु–क्या सरकार को यह मालूम है कि ५–६ साल से एक भी परची नहीं बांटी गई है; ऐसे भी स्थान है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया–नहीं।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु–क्या सरकार ऐसी मिसालें बताने पर कोई इस सम्बन्ध में जांच करने के लिए तैयार है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया–अवश्य जांच करने के लिए तैयार है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु–मैं भी एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसको अभी तक परची नहीं मिली है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया–आपको परची क्यों नहीं मिली, इसकी जांच करेंगे।

(प्रश्न संख्या १२६)

श्री तनसिंह–क्या मंत्री, जन कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे :–

(१) बाड़मेर में चोहटन जानेवाली सड़क पर दुरुस्ती का कितना रुपया खर्च हुआ ?

(२) यह दुरुस्ती का काम क्या ठेकेदार से करीया गया था ?

(३) क्या इस बात की जांच की गई है कि सड़क पर कंकरी डाल दी गई है और उसे ठीक तरह से पीटा नहीं गया ?

श्री भालानाथ–बामेड़र से चौहटन की सडक फेमीन रिलीफ के अवसर पर सन् १९५०–५१ के वक्त एक लाख छतीस हजार रुपया लगा कर बनवाई गई थी । ३॥ मील सडक का टुकडा सन् १९५१-५२ में १२५००) रुपये की लागत से बनाया गया । यह काम ठेकेदारों द्वारा किया गया । इस पर सालाना ६ हजार रुपया मरम्मत में खर्च किया जाता है ।

बाड़मेर चौहटन सडक ग्रेवल (मुड की सडक) है । मुड की सडक में कुटाई नहीं की जाती । मुड और ग्रेवल बिछाने के बाद यह सडक बरसात व ट्रेफिक द्वारा मजबूत होती है ।

श्री संतोषसिंह–सड़क क्या अभी टूटी हुई है या नहीं, इस बात का सरकार को इल्म है या नहीं ?

श्री तनसिंह–मेरे प्रश्न के भाग (३) का उत्तर नहीं आया ।

श्री भोलानाथ–बरसात का मौसम आने पर वह स्वयं कुछ टूट जाती है ।

(प्रश्न संख्या १२७)

श्री एच.के.व्यास–Will the Minister-in-charge for Public Works be pleased to answer.—

(*a*) What is the total amount of dues from consumers still remaining unrecovered in the Power House, Jodhpur.

(b) Please state the names and the exact amounts due from each of the consumers whose dues exceed Rs. 1000/-

श्री भोलानाथ–जोधपुर पावर हाउस के कन्ज्यूमर्स के प्रति ३,९३,५४१।८।० बाकी हैं ।

(ब) डिटेल्स इस प्रकार है,

List of consumers against whom the outstandings exceed Rs. 1000/-

S. No.	*C. No.*	*Name of consumer.*	*Amount.*	*Action for recovery.*
		LIGHT CONSUMERS.		
1.	5159	Manager Grand Hotel.	Rs. 1,307/4/-	Respite allowed on red slip.
2.	5319	Manager Anand Theatre.	Rs. 1,183/14/-	Red slip issued.
3.	5720	Manager Minerva Theatre.	Rs. 1,580/6/-	-do-
4.	1983	Bhanwar Lal Soni.	Rs. 2,046/6/-	Referred to Collector.
5.	106	Editor Jawala.	Rs. 1, 182/-/-	Respite allowed on Red slip.
6.	2941	Maharaja Narayan Singhji.	Rs. 1,236/1/-	Referred to Collector.

7.	2944	Staff of H. H's Household.	Rs. 3,357/8/-	Referred to Administrator to H. H's Estate.
8.	156	S. Mukan Dass.	Rs. 1,208/4/-	Referred to Collector.
9.	72	M. S. Amer Singhji of Raoti.	Rs. 1,245/-/-	Red slip Issued.
10.	1251	Maji Shri Chowanji Sahiba.	Rs. 1,680/2/-	-do-
		POWER CONSUMERS		
11.	761	Rajasthan Industries.	Rs. 2,23?/11/-	-do-
12.	3954	Stadium Cinema.	Rs. 2,077/5/-	Referred to Administrator to H. H's Estate.
13.	4632	M/s Jeewat Raj Hargun Dass.	Rs. 2,310/13/.	Red slip issued.
14.	6314	Mr. Alla Bux.	Rs. 1,894/15/-	Referred to Collector.
15.	5651	Chopasni Ice & Oil Mills.	Rs. 38,747/10/-	To be paid in installments, on recommendation of Director of Industries & Commerce.
16.	5719	Manager Minerva Theatres.	Rs. 1,296/8/-	Red slip issued.
17.	5798	M/s Ghansumal Jagoo Mal.	Rs. 2,846/13/-	-do-
18.	Temporary.	S. Girdhari Lal.	Rs. 12,107/6/-	Referred to Collector.

श्री संतोषसिंह—क्या इन लोगों के कनेक्शन्स अभी तक चालू हैं ?

श्री भोलानाथ—अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग एक्शन लिए गये हैं। जैसे १२ हजार की वसूली के लिए कलेक्टर को रेफर किया गया है और ३८ हजार की वसूली के लिए उद्योग विभाग की सिफारिश के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

श्री संतोषसिंह—मैं तो आपसे सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों में रकम बाकी है क्या उनके कन्ज्यूमर्स अभी तक जारी हैं क्या ?

श्री भोलानाथ—तीन महीनों के बाद रेड स्लिप भेजने का जोधपुर में कायदा है; उसी के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

श्री संतोषसिंह——क्या जो रकमें बाकी हैं वे सिर्फ तीन महीनों की हैं या इससे कई ज्यादा अर्से पहले की हैं ?

श्री भोलानाथ—मैंने आपको पहले के लोगों के नाम सुनाये । अब मैं आपको जिन जिन के खिलाफ रेड स्लिप जारी हुई है, वह पढकर आपको सुनाता हूं ।

श्री खेतसिंह—मेरा खयाल है कि आप (श्री संतोषसिंह) यह जानना चाहते हैं कि आया आनन्द थियेटर का नाम भी रेड स्लिप वालों में है या नहीं ?

श्री भोलानाथ—आनन्द थियेटर के नाम रेड स्लिप जारी हुई है ।

श्री संतोषसिंह—३८ हजार की रकम कितने अर्से की है । अगर ये रकम वसूल नहीं हुई तो जिम्मेवारी किसकी है ?

श्री भोलानाथ—जिम्मेवारी तो सरकार की ही है । सरकार इसके लिए कलेक्टर आदि को लिखेगी ।

श्री माधोसिंह (जालोर) –रेड स्लिप जारी होने पर भी कनेक्शन्स क्यों नहीं काटे गये ?

श्री एच. के. व्यास–अब उनकी वसूली के लिए सरकार क्या सोचती है ?

श्री भोलानाथ–रेड स्लिप जारी करने के बाद उनके केसेज कलेक्टर आदि के पास भेज दिये जाएंगे; रुपयों की वसूली करने के लिए ।

श्री एच. के. व्यास–क्या यह समझा जावे कि ये १८ नाम जो आपने पढे हैं उनके खिलाफ हाल ही में रेड स्लिप जारी हुई है ?

श्री भोलानाथ–जब रेड स्लिप इ्यू होती है उस समय उनके खिलाफ जारी की जाती है ।

श्री एच. के. व्यास–मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो १८ नाम बताये गये हैं, जिनके नाम पर रकमें निकलती हैं, उनको तीन महीने नहीं बल्कि साल साल हो गये हैं; रेड स्लिप जारी हुए। अब सरकार उनके खिलाफ क्या कदम उठाएगी ?

श्री भोलानाथ–उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही होगी ।

श्री एच. के. व्यास–नियमानुसार कार्यवाही नहीं की जा रही है; इसीलिए पूछ रहा हूं कि उनके खिलाफ कार्यवाही कब तक की जावेगी ? क्या उनके कनेक्शन्स बन्द किये जावेंगे या रुपया वसूल किया जावेगा और कब तक उनके खिलाफ कार्यवाही की जावेगी ।

श्री भोलानाथ-अभी जिनके खिलाफ १२ हजार रुपये निकलते हैं उनका मामला कलेक्टर को रेफर किया गया है, स्टाफ ऑफ एच. एच. हाउसहोल्ड (His Highness's Household) का मामला एच. एच. के एडमिनिस्ट्रेटर को रेफर किया गया है व दूसरों के खिलाफ रेड स्लिप जारी की गई है।

श्री संतोषसिंह-जो लोग पाकिस्तान चले गये हैं उनसे वसूली सरकार कैसे करेगी ?

श्री एच. के. व्यास-नियमानुसार कार्यवाही कब तक हो जायगी और रकम कब तक वसूल हो जायगी ?

श्री भोलानाथ-केसेज को देखकर जिस तरह की उनकी नेचर होगी उसी तरह की कार्यवाही की जायगी।

श्री एच. के. व्यास-इतने दिनों तक उन लोगों के साथ जो रियायत बरती गई है उसमें सरकार की क्या मंशा है ?

श्री भोलानाथ-कोई मंशा नहीं।

श्री एच. के. व्यास-इतने लम्बे अर्से तक उनमें ड्यूज बाकी रहे और उनके कनेक्शन्स नहीं काटे, यह जो रियायत उनके साथ बरती गई, यह किस कारण से ?

श्री भोलानाथ-कोई रियायत नहीं बरती गई। नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

श्री एच. के. व्यास-क्या क्या कार्यवाही की है ?

श्री अध्यक्ष-You can table a question to that effect.

श्री एच. के व्यास-But, Sir, I have to put facts.

श्री अध्यक्ष-If information is sought as to the irregularities and inactivities of a particular Department of Government, a separate question can be tabled.

श्री एच. के. व्यास-Sir, My point is, what is the "नियमानुसार कार्यवाही" This is my point.

प्रश्न संख्या १२८

(श्री नारायण चतुर्वेदी अनुपस्थित)

एक सदस्य-श्री नारायण चतुर्वेदी कार्यवश अभी तक आ नहीं सके हैं अतः यह प्रश्न पूछने की मुझे आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष-The reply will be on the placed table-Next.

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

प्रश्न संख्या १२६

श्री एच. के. व्यास-Will the Minister-in-Charge for Civil Supplies be pleased to answer.—

(a) Does the Government propose to disband the Civil Supplies Department?

(b) If so, from what date ?

(c) What does the Government propose to do about the employees that will be thrown out of this Department ?

श्री भोगीलाल पंड्या-(अ) नागरिक रसद विभाग को भंग करने की अभी कोई नीति नहीं है ।

(ब) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(स) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री एच. के. व्यास-क्या इस बीच में मुलाजिमों को कम नहीं किया जा रहा है ?

श्री भोगीलाल पंड्या-नहीं ।

प्रश्न संख्या १३०

श्री डी. एम. बापना-Will the Labour Minister be pleased to state.—

(i) Whether payment of wages is made to Mica mines labour in Udaipur Division every month ?

(ii) Whether it is a fact that Mica lease and many Prospecting Licence Holders do not pay wages for 4, 6 or even 12 months ?

(iii) Has the Government taken any action against those who do not pay wages to their labour every month ?

(iv) Is the Government taking some measures to ensure monthly payment of wages to such employees ?

(v) If so, what are they ?

Page No.21

श्री रामकरण जोशी–क्योंकि खानों में मजदूरी का भुगतान करवाना तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम को लागू करना वास्तव में केन्द्रीय सरकार का काम है, अतः यह सरकार इस संबंध में कोई उत्तर देने में असमर्थ है ।

प्रश्न संख्या १३१

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु–क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का जबाब देने की कृपा करेंगे :–

गंगानगर जिले की मन्डियों में जब किसान अपना अनाज लेकर जाता है तो आढ़ती (कमीशन एजेन्ट) किसानों से आड़त, तुलाई, दामी, बारदाना, गौशाला, पल्लेदार, पानीवाला, धानका, चुंगी, तोल में मन ४१ सेर का कर्दा, भराई आदि के टैक्सों से बहुत बड़ी रकम ले जाता है ? क्या सरकार किसानों को इन टैक्सों से निजात दिलवायेगी ?

श्री रामकरण जोशी–इस सवाल का मुझसे ताल्लुक नहीं है यह गलत तरीके से एड्रेस किया गया है ।

श्री एच.के. व्यास–Sir, I want to say something about this matter.

According to the Rules, if the Hon'ble Minister considers that it is not possible to place the answer on a particular day, then with the permission of the Speaker, that question can be placed for answer on a subsequent day. But once it is placed for answer on a particular day, it is presumed that its answer is ready. Such occurences is becoming very frequent in the House and I request you to clarify the point, whether it will be possible to give advance information to members and if it is not possible, then what action should be taken. If that is not done the Rules of Procedure will be violated.

श्री अध्यक्ष–It refers to the Revenue Minister and our office copy shows that it must have been given in original to the Revenue Minister.

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)–No, Sir I have not received any copy.

श्री भोगीलाल पंड्या–यह प्रश्न ऐसा है कि किसी से ताल्लुक नहीं रखता, यह किसी के पोर्ट फोलियो नहीं आता है ।

श्री अध्यक्ष–By mistake it has gone to the Local Self-Government Minister. We will take it on a later date.

(विराम)

The point raised by Mr. Vyas is not exactly the same as is before the House at present. It is a different point. Once a question is admitted I think it is the duty of the Treasury Benches to reply to that question. In case it is misdirected to any Minister we can take it on a later date.

(विराम)

श्री टीकाराम पालीवाल–Mr. Speaker, Sir, I want to raise a question. As a matter of fact Government have nothing to reply. It (Question No. 131) does not concern the Government at all. These are some of the realisations which are charged by traders, merchants, etc. Government is not responsible for these things. It is, therefore, that my friend said that Government has nothing to reply. These are levies, such as Adhat, Tulai, Dami, Bardana, Gaushala Palledar, Paniwala, Dhanka, Chungi, etc. Government have nothing to do with them. It is a private arrangement between the seller and the purchaser. (Pause). Legislators are expected to know what to ask and what not to ask the Government.

श्री अध्यक्ष–Well, we have received a reply from the Government that the question was directed to the Revenue Department.

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु–जो जवाब दिया गया है क्या मैं उसको अपने प्रश्न का उत्तर समझूं ?

श्री टीकाराम पालीवाल–It is so

एक सदस्य–No Sir, but........

श्री अध्यक्ष–There were two questions connected and there was some confusion abou them. One of them has been rejected from the office on the very ground on which the Deputy Chief Minister has elucidated, and about the second, the papers are not available. Office will place these papers befor me and I shall see.

प्रश्न संख्या १३२

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु–क्या राजस्व मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

(क) पदमपुर में पक्की अनाज की मंडी बनाने की लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(ख) उसके लिए कितनी व कौनसी जगह तजवीज की गई है ?

Page No.23

श्री मोहनलाल सुखाडिया–(क) पदमपुर में अभी पक्की मंडी बनाना मंजूर नहीं किया गया।

(ख) इस विषय में कलेक्टर गंगानगर ने तहसीलदार पदमपुर से डिजाइन की तजवीज मांगी है। वह तजवीज आ जाने पर मुनासिब कार्यवाही की जायगी।

श्री संतोषसिंह–डिजाइन तहसीलदार करता है कि इन्जीनियर्स ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया–तहसीलदार से पूछा गया है।

श्री एच. के. व्यास–In the meantime shall we consider it left over or disallowed ?

श्री अध्यक्ष–Well, if it is to be accepted, it will come next time. But if it is worthy of being rejected, it will not come.

प्रश्न संख्या १३३

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु–क्या राजस्व मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :–

गंगानगर जिला में बढ रही पोहली व कन्टाली को नष्ट करने के लिए राजस्थान सरकार ने आज तक क्या प्रयत्न किये हैं और भविष्य में क्या करने का विचार रखती है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)–पोहली, कन्टाली और प्याजी व्हीदल जाति के अनावश्यक वनस्पति हैं जो कि गंगानगर तथा राजस्थान के अन्य जिलों में, पर्याप्त मात्रा में गेहूं की फसल में पाये जाते हैं। राजस्थान कृषि विभाग की वनस्पति रक्षा–शाखा ने इन अनावश्यक वनस्पति को नष्ट करने के लिए इस विषय में पर्याप्त मात्रा में अनुसंधान किये हैं ताकि आधुनिक रसायनिक पदार्थों से इनकी रोक थाम की जा सके। इन अनुसंधानों के फलस्वरूप केइनाकसोन तथा कैथोन इन अनावश्यक पौधों को नष्ट करने में काफी मात्रा में उपयोगी सिद्ध हुई हैं। इन रसायनिक पदार्थों का ठीक मात्रा में उपयोग करने से अनावश्यक पौधों को रोका जा सकता है जिसके फलस्वरूप गेहूं की फसल को नुकसान नहीं होता। ऐसे अनावश्यक पौधों की रोक थाम के उपायों के प्रदर्शन श्री गंगानगर जिले में पिछले वर्ष पर्याप्त मात्रा में किये गये जिसके फलस्वरूप बहुत से काश्तकारों ने बहुत बड़ी मात्रा में इन रसायनिक पदार्थों को खरीद कर अपनी अपनी गेहूं की फसलों पर छिड़काव किया गया था। इस कार्य में राजस्थान कृषि विभाग की वनस्पति रक्षा शाखा ने किसानों की यथा शक्ति सहायता भी की।

इन उपायों का श्री गंगानगर तथा अन्य इलाकों में और ज्यादा प्रोत्साहन तथा प्रदर्शन किया जायगा जिससे आशा की जाती है अनावश्यक पौधों को नष्ट करके गेहूं की फसल में ३० प्रतिशत बढोतरी हो सकती है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु–क्या इन पौधों को नष्ट करने से गेहूं की फसल को कोई फायदा तुरन्त होता है या अगले साल होता है; क्या सरकार ने इसकी जांच करवाई है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया–यह तो आप स्वयं ही कह रहे हैं कि इससे फायदा होता है ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु–क्या सरकार ने इसकी कुछ जांच करवाई है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया–मैंने काफी लंबा जवाब इसके बारे में दिया है ।

श्री भैरोंसिंह–ये पौधे किस तरह के होते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया–मैं समझता हूं हर पौधा यहां नहीं लाया जा सकता ।

प्रश्न संख्या १३४.

श्री तेजमल बापना–क्या सिंचाई मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:–

(अ) सन् १९५२-५३ में भीलवाडा जिले में मेजर इरिगेशन में कोई काम प्रारम्भ किया गया और यदि किया गया तो उसमें कितना खर्चा हुआ ?

(ब) क्या मेजा डेम जिससे ३०,००० (तीस हजार) एकड़ जमीन पीवत हो सकती है और जिसके लिये फॉरमर राजस्थान ने स्वीकृति व रुपया भी दे दिया था उसको कार्यरूप में परिणत करने का सरकार कोई विचार रखती ह ?

(स) यदि हाँ, तो अब तक इस काम को प्रारम्भ नहीं करने का क्या कारण था और अब कब तक इसको प्रारम्भ किये जाने की संभावना है और कब तक यह पूरा हो सकेगा ?

श्री भोगीलाल पंड्या–(अ) हाँ किया गया । इसमें १४४१००) रुपया खर्च हुआ ।

(ब) मेजा डेम के कार्य को प्रारम्भ करने के लिये भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

(स) इसका उत्तर (ब) में आजाता है ।

प्रश्न संख्या १३५.

श्री अध्यक्ष–Before I call the next question, Q. No. 135, I will like to inform the House that I allowed the Minister to make a statement but if the Hon'ble Member wants to put supplementary questions, I will not allow them. He can study that statment and table supplementary or independent questions afterwards.

श्री जसवन्त सिंह–May I make a elucidation ? We have just been informed of a statement to be made by a Minister and that it is not necessary to question.

श्री अध्यक्ष–Yes.

श्री जसवन्तसिंह्–It is true, even then no question should be asked ?

श्री अध्यक्ष—This is the parliamentary practice. If any answers to questions of statement are made, no supplementaries are allowed at that time. The statement is placed on the table of the House and the members can study that statement and other questions and supplementaries can be put later on. After that members can table regular questions.

श्री एच.के.व्यास–Sir, a question of procedure has been raised, and it is open to the Hon'ble Speaker to permit discussion on that question after the statement is made. Such discussion is allowed on every such occasion when a statement is made. I would submit that since the first part of the procedure is here being followed, the second part of the procedure should also be followed.

श्री अध्यक्ष–The question-hour is only meant for seeking information and when the answers to a particular question is asked of a Minister by way of a statement and he makes such statement, and if certain more informations are needed, supplementaries may be asked at a later stage.

श्री एच.के. व्यास–I will read the question.

श्री अध्यक्ष–No.

श्री एच. के. व्यास–It is in the form of a short-notice question.

श्री अध्यक्ष–It is not a short-notice question.

श्री एच. के. व्यास–It is written as 'S.N.Q'.

श्री अध्यक्ष–No, it is a regular question.

(एक सदस्य ने अपने प्रश्न के न बोले जाने के कारण आपत्ति प्रस्तुत की)

श्री अध्यक्ष–According to Rules, once a question is called and the Member concerned is not present, then his opportunity lapses.

श्री एच. के. व्यास—Will the Revenue Minister be pleased to answer :—

(*a*) Will the Government make a statement on the famine conditions in Rajasthan, its extent, severity and the steps so far taken to give relief.

(*b*) What do the Government propose to do now about extending and increasing such relief ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)—प्रश्न में राजस्थान में अकाल के संवन्ध में जो स्थिति है उसके बारे में पूछा गया है। पिछले वर्ष सन् १६५२ में वर्षा कुछ इलाकों में न होने के कारण और कुछ इलाकों में अतिवृष्टि के कारण जो स्थिति पैदा हुई है उसे आपके सामने रखना चाहूंगा:—

बीकानेर डिविजन में आमतौर से सिवाय नहरी इलाके के और चूरू जिले के कुछ हिस्से सारे क्षेत्र में इस वर्ष अकाल है। उदयपुर डिविजन के अन्दर भील क्षेत्र में है। उदयपुर, बांसवाडा और चितौड जिले के परतापगढ सब-डिविजन के कुछ हिस्सों में अतिवृष्टि के कारण वहां की फसल वहुत वरबाद हो गई है और बाद में जो कुछ बचा वह वर्षा के अभाव के कारण वहां पर जितनी फसल होनी चाहिये थी उतनी नहीं हुई। इस के अलावा जोधपुर डिविजन के कुछ हिस्से में जिसमें खास तौर से जोधपुर डिस्ट्रिक्ट बिलाडा तहसील के अलावा सारा हिस्सा आता है और नागौर जिले का कुछ हिस्सा जिसमें तहसील नागौर और डीडवाना खास तौर से हैं और बाडमेर डिस्ट्रिक्ट की शिव तहसील इन क्षेत्रों में खास तौर से अकाल घोषित हुआ है।

जहां तक अकाल के असर का प्रश्न है इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि पिछले कुछ वर्षों में लगातार फसल की कमी रही; इस कारण से लोगों को काम देने का प्रश्न खड़ा हुआ। कुछ हिस्सों में जहां नहरें आ रही हैं काम हो रहा है इससे वहुत से लोगों को कामकाज मिला है। दूसरे हिस्सों में जो काम काज होगा उसकी जानकारी सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं। सन् १६५२ के अंत तक सरकार ने ११ लाख ५० हजार रुपया मंजूर किया था और उसके बाद जनवरी से मार्च १६५३ तक ३ महीनों के लिये १३ लाख ६८ हजार रुपया और मंजूर किया जिसका व्योरा निम्नांकित है:—

जो सडकें पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा बनाई जायेंगी उनमें ३ लाख रुपये खर्च होंगे और कुछ काम तालाबों में इरिगेशन विभाग द्वारा किया जायगा उसका खर्च उनमें ६८ हजार रुपया होगा और दूसरे काम जो रेवेन्यू विभाग द्वारा अलग अलग किये जायेंगे उनमें से सडकों पर १ लाख ३६ हजार रुपया और सिंचाई के छोटे कामों में ८ लाख ३५ हजार रुपया, कच्चे तालावों में बड़े काम में ६ लाख ३६ हजार रुपया खर्च होगा। पीने के पानी के लिये १ लाख ८ हजार ५ सो रुपया और केटल कंजरवेशन में ५६ हजार रुपया और ग्रेचुटस रीलीफ में ४४ हजार रुपया एस्टेब्लिशमेन्ट में ५० हजार और तकावी के लिये ४ लाख २० हजार रुपया; इस प्रकार कुल २५ लाख ४८ हजार रुपया इस वर्ष के अंत तक खर्च करने का निर्णय किया गया है। मैं समझता हूं इनमें से बहुत से साधन शुरू कर दिये गये हैं और बाकी इस मास के अंत तक जल्दी ही शुरु कर दिये जायेंगे और लोग काम पर लग जायेंगे। मैं इस संबन्ध में इतना ही कहना चाहता हूं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अध्यक्ष महोदय, मेरी यह रिक्वेस्ट (प्रार्थना) है कि जो मैं आपके जरिये हाउस को बताना चाहता हूं कि फैमिन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वाद-विवाद के लिए एक दिन मुकर्रर कर दिया जाय। मेरे खयाल से इसम लीडर ओफ दी हाउ स को कोई एतराज नहीं होगा।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)–मैं समझता हूं कि बजट की बहस के वक्त फैमिन पर भी बहस हो सकेगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास–बजट की बहस के वक्त में स्पेसिफिक डिपार्टमेन्ट के विषय में कहा सुनी होती है और चूंकि फैमिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसके लिए पूरी तौर से जाना जा सके कि कहां कहां और किस किस प्रकार रिलिफ मेजर्स लिए गये। अतः अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए एक दिन का समय (सेपरेट डे) अॅलाट कर दीजिए।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)–फैमिन के बारे में अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका जवाब दिया जाता है। मेरा ख्याल है, अध्यक्ष महोदय, कि बजट की बहस के वक्त इस विषय पर अधिक समय, यदि आप कहेंगे, तो दिया जा सकेगा। मेरे ख्याल से इस प्रश्न पर बहस करने के लिए अभी हम जिन परिस्थितियों में हैं एक अलग दिन मुकर्रर करने की आवश्यकता नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष – By that time the Hon'ble Member will seek more information by way of questions.

श्री जयनारायण व्यास–That I know.

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

श्री अध्यक्ष – Then we come to the next item, papers to be laid before the Assembly. Shri Mohan Lal Sukhadia.

श्री मोहनलाल सुखाडिया–Sir, I lay before the Assembly the Rajasthan Produce Rents Regulating (Amendment) Ordinance, 1953, promulgated after the termination of the October-November Session, 1952, and before the commencement of the present session.

श्री रामकरण जोशी–Sir, I lay before the Assembly the Jaipur District Boards (Extension of Terms) Ordinance, 1953, promulgated after the termination of the October-November Session, 1952, and before the commencement of the present session.

विधान-कार्य

श्री अध्यक्ष–We come to the next item, legislative business; Bills for consideration.

श्री टीकाराम पालीवाल–Sir, I beg to move that the Bill to provide for the surveillance and control of habitual offenders in the State of Rajasthan, as reported by the Select Committee, be taken into consideration.

श्री जसवन्तसिंह—अध्यक्षजी, मुझे, जो बिल अभी माननीय होम मिनिस्टर साहब के द्वारा पेश किया गया है, उसके मुतालिक दो चार बातें कहनी हैं। पहली बात तो मुझे यह समझ में नहीं आई कि क्या ऐसी जरूरी बात थी कि गवर्नमेन्ट ने इसके लिए एक ऑर्डिनेन्स बनाना ज़रूरी समझा। अगर कोई एसा जरूरी कार्य होता और जो असेम्बली के सेशन के पहले ही होना जरूरी था और जिसके बगैर गवरनमेन्ट का कार्य रुक ही रहा था, जब कि असेम्बली का सेशन जल्दी नहीं होने वाला था, तो वह बात दूसरी थी। अतः सरकार के बखिलाफ जो एतराज है वह यह है कि हमें ऐसी कोई बात मालूम नहीं होती जिसके लिये कि इस प्रकार के ऑर्डिनेन्स पास करने की सरकार को आवश्यकता पड़ी। एम्स एन्ड ऑब्जेक्ट में बताया गया है कि इसके मुतालिक प्रेसिडेन्ट के इन्स्ट्रक्शन्स मिल चुके थे। अगर ऐसी हालत हमारे राजस्थान में हुई है और जब कि असेम्बली जल्दी ही शुरु होने वाली थी तो मैं जानना चाहूंगा कि इस ऑर्डिनेन्सन को क्यों पास किया गया ? क्या गवर्नमेन्ट इसके लिए नहीं रुक सकती थी ? अगर हमारी सरकार कहे कि प्रेसिडेन्ट के इन्स्ट्रक्शन्स मिल गये थे और हमारी सरकार के लिये यह करना जरूरी था तो मैं हमारी सरकार का मैसूर में जो इन्सीडेन्ट हुआ है उसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। चीफ जस्टिस मर्डर केस में भी प्रेसीडेन्ट द्वारा इन्स्ट्रक्शन्स दिये गये थे किन्तु मैसूर सरकार उनको मानने के लिए तैयार नहीं हुई। सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट द्वारा आपत्ति की गई, किन्तु उनको मैसूर सरकार की राय के साथ एकोमोडेट करना पड़ा। अगर हमें गलत इन्स्ट्रक्शन्स मिल जायं तो हमें आंखमींच कर उन इन्स्ट्रक्शन्स को नहीं मानना चाहिये। आखिर हमारे प्रेसिडेन्ट एक राजनैतिक दल द्वारा गाइड किए जाते हैं। सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट द्वारा जो कहा गया उस पर फौर्मल तरीके पर प्रोफोर्मा इन्स्ट्रक्शन्स उन्होंने राजस्थान सरकार को भेज दिये और हमारी सरकार ने आंख मींच कर, बगैर सोचे समझे, इस तरह का ऑर्डिनेन्स पास कर दिया। अगर इस प्रकार के ऑर्डिनेन्स की आवश्यकता ही थी तो सरकार को राजस्थान विधान सभा, जिसका अधिवेशन शीघ्र ही होने वाला था, में बिल की शक्ल में पेश करना था। अतः मेरा यह एतराज है कि इस ऑर्डिनेन्स को जल्दी से पास करने की क्या जरुरत थी ?

अब दो चार बातें में इस बिल पर जो और कहना चाहता हूं, वे ये हैं। एक तरफ हम क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को रद्द करना चाहते हैं (और वह रद्द भी कर दिया गया है) और दूसरी तरफ हेबिच्युअ ओफेन्डर्स की क्लास को बनाना चाहते हैं। यदि हमें शिड्यूल्ड कास्ट नाम को मिटाना है और यदि हम स्वराज्य मिलने के पश्चात् जाति-जाति में भेदभाव को मिटाना चाहते हैं तो फिर हैबिचुअल ओफेन्डर्स की नई क्लास को क्यों पैदा किया जाय ? मैं यह नहीं कहता कि जो व्यक्ति हेबिचुअल ओफेन्डर है उसे सजा न मिले। मुझे तो एक नई क्लास बनाने पर एतराज है। ऐसा मालूम होता है कि इस बिल को पेश इसी लिए किया जारहा है कि किसी एक जाति पर इसका उपयोग कियाजा सके। क्लाज ४ में यह कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को हेबिच्युअल ऑफेन्डर करार दिया जाय तो वह गवर्नमेन्ट के पास अपील कर सकता है। इसमें भी हमको एतराज है क्यों कि भारतवर्ष में डेमोक्रेसी अभी नई है और इसका नैतिक स्तर ऊंचा उठने में अभी समय लगेगा। अगर विलायत की सरकार होती या युनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सरकार होती, जिन कन्ट्रीज का नैतिक स्तर ऊंचा होता है तो कोई बात नहीं थी, किन्तु हमारा अहोभाग्य नहीं है कि हमारा नैतिक स्तर ऊंचा है। जहां राजनैतिक दल की गवर्नमेन्ट होती है वहां पोलिटिकल रीज़न्स

[श्री जसवन्तसिंह]

भी होते हैं। और उनकी वजह से जो उनके पास अपील्स पेश होती हैं उनको अलग रूप दिया जा सकता है। अतः हम चाहते हैं कि स्टेट्स गवर्नमेन्ट के पास अपील राइट्स न होकर अदालतों के पास हो।

क्लॉज ९ में यह कहा गया है कि जो पाबन्दियां हेबिच्युअल ओफेन्डर्स पर लगा दी जावेंगी और अगर उनकी हुक्म उदूली कर दी जावेगी तो उन्हें बिना वारेन्ट के पकड़ लिया जावेगा। हम चाहते हैं कि वारेन्ट इश्यू करना जरूरी है जिससे हेबिच्युअल ओफेन्डर्स के लिए बचाव हो सके। नहीं तो फिर दलबन्दी और पोलिटिकल डिफरेन्सेज की बिनाओं पर इसका दुरुपयोग किया जाने का अन्देशा है।

यह जो सस्पिशियस सरकम्सटान्सेज में सजा देने का क्लॉज है इसको भी मैं एतराज के काबिल समझता हूं और हमारी यह धारणा है कि इस तरह का प्रोविजन भी नहीं होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—I had no intention to disturb the Hon'ble Member while speaking. But I may invite his attention to the relevant rules. After a Bill has been referred to Select Committee, the stage of discussion over the principles of the Bill is over and when after the presentation of the report of the Select Committee the Member Incharge moves for the Bill to be taken into consideration, then the Hon'ble Member can oppose it by way of subsequent amendments which are referred to in sub-clause (2) of Rule 136, but if reference to other clauses is made, it is not the stage. When we consider the Bill clause by clause the Hon'ble Member can give his amendments all together. So I may draw the attention of the Hon'ble Member to this fact.

श्री जसवन्तसिंह—यह आपका फरमाना दुरुस्त है। क्लाज बाई क्लाज अमेन्डमेन्ट पेश किये जावेंगे तब ऐसा करेंगे।

श्री अध्यक्ष—But that stage of considering the principles has passed. That was before referring the Bill to Select Committee. That stage is over.

(श्री अध्यक्ष की आज्ञा से हटाया गया)

श्री अध्यक्ष—I do not want general observations. You can refer to particular rules. I am open to reason and any rules that you can place before me will be seen.

श्री हरिकृष्ण व्यास—In the meantime I may draw the attention of the House to a fact........

श्री अध्यक्ष—No.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Only to a fact, Sir.

श्री अध्यक्ष—Yes.

Page No.30

श्री हरिकृष्ण व्यास—When this Bill was referred to the Select Committee during the last session, accidentally no general discussion was permitted.

श्री अध्यक्ष—That is not the thing.

श्री हरिकृष्ण व्यास—You can go through the proceedings. A general discussion was not allowed and in fact I raised that point. Upon which the Hon'ble Speaker observed that the question has been put and that we will see at the second stage of the Bill.

श्री अध्यक्ष—(श्री टीकाराम पालीवाल को सम्बोधित करते हुए) What have you to say? He says that at that time no general discussion was permitted.

श्री टीकाराम पालीवाल—I remember there was some general discussion when the Bill was referred to the Select Committee. There was, of course, no lengthy discussion; but there was a discussion.

श्री हरिकृष्ण व्यास—You can refer the proceedings, because so far as my memory goes there was no general discussion. As a matter of fact I sought permission for that........

श्री अध्यक्ष—The question is not that. The question is that once the House passes a particular Bill or departs from a particular stage, then is it permissible to fall back on the previous stage?

श्री कानसिंह—क्या नुकसान की बात है।

श्री अध्यक्ष—जरा मुंह माइक से दूर रखकर बोलिये।

श्री कानसिंह—पिछली सदन की बैठक में हमने किसी रूप में बहस नहीं की थी। पूरा विचार नहीं किया था।

उस पर क्या क्या ऐतराज किये जाने चाहिये यह तो सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आने पर ही पता चल सकता है।

श्री अध्यक्ष—Order. You have not followed the point. I have no objection if the whole House agrees to a discussion now, but the only question is whether it is proper to fall back on a previous stage when once that stage has passed.

श्री जसवन्तसिंह—As a matter of fact, Sir, I want to explain my position ..

श्री अध्यक्ष—What are the provisions of the rules?

Page No.31

श्री जसवन्तसिंह--So far as the rules are concerned, I have no objection.

मैं जिस बात पर कहना चाहता था वह यह थी कि जो सिलेक्ट कमेटी द्वारा रिपोर्ट पेश की गई है उस पर भी हमें ऐतराज हैं। यह बात ऐसी है जिस पर गौर करने की जरूरत है। इसलिए मेरा यह सुझाव था कि इसको पब्लिक ओपीनियन के लिए रेफर करना जरूरी है और जिन जिन बातों पर एतराज हो वह बताएं। मैंने जनरल तौर पर इस पर चर्चा की थी। पर जब क्लॉज बाई क्लॉज बहस करना शुरू करेंगे तब मैं इस पर विस्तार से अपने ऐतराज पेश करूंगा।

श्री अध्यक्ष--Then you bring forth your amendment.

श्री गोपीलाल यादव--श्रीमान्‌जी ने जो यह फरमाया कि जिस वक्त सिलेक्ट कमेटी में गया उस वक्त इस पर बहस करना था। जिस वक्त सिलेक्ट कमेटी में जाने की बात थी उस समय यह कहा गया कि चूंकि सिलेक्ट कमटी में जा रहा है तो वहां से रिपोर्ट मिलने पर ही इस पर बहस किया जाना ठीक होगा। अब जब सिलेक्ट कमेटी से आया तो कहा जा रहा है कि डिस्कशन का मौका नहीं है। मैं निवेदन कर रहा हूं कि यह गलत इन्टरप्रिटेशन है।

श्री अध्यक्ष--You have not followed the point. The point is, can we go back to the stage when the stage has been passed over, when it has been given to the Select Committee?

श्री गोपीलाल यादव--निवेदन यह करना है कि सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के बाद जिस वक्त बिल रीइन्ट्रोडक्शन के लिए आवेगा तो सेक्शन १२२ में आवेगा, जैसा कि अब आ गया। और इस वक्त रिकन्सीडरेशन के लिए मूव किया जावेगा तो डिस्कशन धारा १२४ में होगा और सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पर अपना निर्णय दिया जावेगा। सिलेक्ट कमेटी को एक बार जाने के लिए आगे वाली सेक्शन क्वोट की गई थी जो अधिकार १२२ और १२४ में दिया है उससे मेल नहीं खाता। जिस वक्त बिल हाउस के सामने आवे उस वक्त यह लाजिमी है कि हरेक क्लॉज पर डिस्कशन हो। बगैर डिसकस के भी मूव किया जाता है। सिलेक्ट कमेटी को और सिलेक्ट कमेटी के लिए हरेक आइटम पर विचार करना लाजिमी है पर इसके मानी यह नहीं है कि फर्स्ट रीडिंग के राइट से ही हाउस डिप्राइव हो जावे।

श्री अध्यक्ष--His point is clear.

श्री टीकाराम पालीवाल--There was a discussion. My friend forgets that since the Bill was such, and it is so obvious and necessary that the House without much discussion accepted the principles of the Bill. It did accept the principles without much discussion.

एक सदस्य--No, No.

श्री हरिकृष्ण व्यास--That is a point which........

श्री अध्यक्ष–Order, Order ! That is not the point. The main point which impressed upon the House is quite clear. It is not necessary to waste time on that and so the leader of the opposition should continue.

श्री हरिकृष्ण व्यास–That it was...........

श्री अध्यक्ष–Order !

श्री जसवन्त सिंह–मैं अरज कर रहा था कि अगर बहस अभी नहीं करनी है तो नहीं; पर यह बात हमें बिलकुल मन्जूर नहीं कि यह बिल हम इसी तरह स्वीकार कर लें। अतः यह अमेन्डमेन्ट मैं मूव करना चाहता हूं कि अन्डर सेक्शन १३६ (२) यह बिल पब्लिक ओपीनियन के लिए सर्क्युलेट किया जावे।

श्री हरीदत्त–माननीय अध्यक्ष, लीडर ऑफ ऑपोजिशन की तरफ से जो यह सुझाव है कि इस बिल को पब्लिक ओपीनियन के लिये सर्क्युलेट किया जाय, बहुत उचित है। मैं इस बात का समर्थन इस कारण से कर रहा हूं कि क्रिमिनल ट्राइब्ज लॉज को जब रिपील किया गया तो उसमें बहुत सी बातें थीं। उनमें से एक बात यह थी कि हेबिचुअल ऑफेन्डर्स के नाम पर पुलिस बार बार उन जाति के लोगों को थाने में बुलवाती थी और उनको मजबूर किया जाता था कि वे हाजरी दें; वे अगर कहीं जायं तो उनसे छुट्टी लें। इस तरह वे जातियां पुलिस के कब्जे में रहा करती थीं; इसलिये वे सुधर नहीं पाती थीं। जेल में रखने की कभी यह मन्शा नहीं हुआ करती कि उनको सजा दी जा रही है बल्कि यह मन्शा होती थी कि वे अपने आचरणों में सुधार करें। हेबिचुअल ऑफेन्डर्स में सुधार करने का यह सवाल नहीं बल्कि पुलिस को जो आथॉरिटी मिल जाती है कि इसके अन्तर्गत वे जातियां हमारे कब्जे में रहें, जिनको वे अपने सोर्स आफ मीन्स बना लेते हैं इस वजह से उनको कष्ट होता है। कि वे लोग जो जेल से छूट कर जाते हैं वे अपनी जाति के अन्दर शरमिन्दा होते हैं और वे अपने जाति के अन्दर जाने से कभी कभी मजबूर भी होजाते हैं। और जब कभी नये थानेदार या जमादार आते हैं तो उनको किसी न किसी प्रकार खुश रखने की उनकी प्रवृत्ति होजाती है। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये क्रिमिनल ट्राइब्ज एक्ट को रिपील किया गया था। मैं साथ में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सिलेक्ट कमेटी ने उन कागजातों को मंगाकर देखने की कोशिश नहीं की कि क्रिमीनल ट्राइब्ज एक्ट रिपील क्यों किया गया।

सिलेक्ट कमेटी ने इस बात को जानने की कोशिश नहीं की और बगैर इस विषय में जाने तमाम मनुष्य जाति के ऊपर यह लागू करने को तैयार होगये। इसलिये मैं सदन में प्रार्थना करता हूं कि लीडर आफ ऑपोजिशन ने जो यह मूव किया है कि इस को पब्लिक ओपीनियन के लिये सर्क्युलेट किया जाय, यह उचित है; जो अब तक नहीं किया गया। इसलिये इस बिल को जनता की राय जानने के लिये सर्क्युलेट किया जाना चाहिये।

श्री टीकाराम पालीवाल–I think this amendment has been moved under Rule 132.

Page No.33

श्री अध्यक्ष–No, No. His intention is to move this amendment under Rule 136 (2). This means that he has every right to do at this stage and discussion can be permitted so far as this amendment is concerned. But we cannot go, as I have previously pointed, in the previous stage to the discussion of the principles of the Bill.

श्री भैरूसिंह (१६)–माननीय अध्यक्ष, इस बिल को विचारार्थ लिये जाने से पूर्व मैं यह निवेदन करूंगा कि इस बिल पर विचार करने के लिये जो सिलेक्ट कमेटी नियुक्त हुई उसने इस बिल के स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स में दिये हुए क्रिमिनल ट्राइब्ज एक्ट की रिपोर्ट को नहीं पढा है। अध्यक्ष महोदय, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स में लिखा है।

"It was considered desirable as recommended by the Criminal Tribes Act Enquiry Committee set up by the Government of India in 1949, to have suitable legislation immediately for the proper and adequate surveillance and control of Habitual Offenders."

सन् १९४९ की रिपोर्ट के आधार पर यह बिल बनाया गया है। उस इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट को देखने के लिए मैंने करीब १० रोज पहले विधान सभा के सेक्रेटरी के नाम एक पत्र लिखा था; उसमें मैंने लिखा था कि इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट को असेम्बली की लाइब्रेरी में रखा जाय, ताकि माननीय सदस्य उसको देखकर अपने विचार प्रस्तुत कर सकें। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वह रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है।

श्री अध्यक्ष–वह रिपोर्ट कॉन्फीडेन्शियल हुआ करती है।

श्री भैरूसिंह–अगर वह कान्फीडेन्शियल होती है तो ऐसा लिख दिया जाना चाहिये था कि वह रिपोर्ट गोपनीय है। क्या मैं यह जान सकता हूं कि वास्तव में क्या वह गोपनीय रिपोर्ट है?

श्री अध्यक्ष–जब तक रिपोर्ट पास नहीं हो जाती तब तक वह गोपनीय रहती है।

श्री जसवन्तसिंह–How can the report of the Enquiry Committee be confidential?

श्री अध्यक्ष–Unless the report is final.

श्री भैरूसिंह–अध्यक्ष महोदय, वह रिपोर्ट सन् १९४९ की है। मैं सिलेक्ट कमेटी के मेम्बरान की काबलियत में शक नहीं करता, लेकिन वह रिपोर्ट अवश्य रखी जानी चाहिये थी और उसको देखना भी आवश्यक था। जिसके बिना पर आप यह कानून बनाने जा रहे हैं, यह अनिवार्य था। इसी बिल के सिलसिले में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान ऑफिशियल लेंग्वेज बिल, १९५२, जो एक इम्पॉर्टेंट बिल है, जिसका श्रीमन् राजप्रमुख ने दो मर्तबा इस सदन में जिक्र किया है, जिसको राजप्रमुख ने बहुत महत्व दिया; उसका एक्ट बनने के बाद भी जिस बिल को माननीय उप-मुख्य मंत्री ने प्रस्तुत किया था, अफसोस के साथ कहना पड़ता है उसका पालन बराबर नहीं किया जा रहा है और इसका कोई

[श्री भैरूंसिंह (१६)]

ध्यान न रखकर भी यह बिल अंग्रेजी में इन्ट्रोड्यूस किया गया है। इसलिए भी इस बिल पर विचार नहीं किया जाना चाहिये । इस सदन में काफी संख्या में ऐसे मेम्बर हैं जो अंग्रेजी नहीं जानते हैं । वे अपनी कॉन्स्टिट्यूऐन्सी में क्या और किस प्रकार बता सकते हैं कि राजस्थान विधान सभा ने इस प्रकार का बिल पास किया है। जब तक वे समझ नहीं पायेंगे तो किस प्रकार अपने क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व इस विधान सभा में कर पायेंगे । इसलिए मेरा निवेदन है कि इस बिल पर विचार नहीं किया जा सकता ।

विधान के अन्तर्गत जो फन्डामेन्टल राइट्स जनता को मिले हुए हैं; उसके बारे में मैं निवेदन करूंगा कि हम स्वराज्य प्राप्ति के पश्चात् अपने अधिकारों का उपयोग ठीक ढंग से कर सकते हैं । इस बिल के बाद मनुष्य जाति को अपने मूलभूत अधिकारों का प्रयोग असह्य हो गया है बल्कि उनके अधिकारों पर एक तरह का कुठाराघात किया जा रहा है। एक तरफ तो नेता लोग इस बात का बराबर बड़े बड़े प्लेटफार्मों पर जिक्र किया करते हैं कि जनता के मूलभूत अधिकारों पर आघात नहीं किया जायगा; लेकिन जब हम इस बिल को आज पास करने जा रहे हैं तो यह एक प्रकार के जनता के अधिकारों पर कुठाराघात के सिवाय और क्या है। एक तरफ तो हम यह कहते हुए पाते हैं कि जनता अपने मौलिक अधिकारों के उपयोग के लिए स्वतन्त्र है और दूसरी तरफ, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, कि हम इस तरह का बिल सदन में पेश कर रहे हैं। जिस प्रकार एक पानी के कुए के पास कोई पानी भरने के लिए जाता है वह यह समझ कर जाता है कि मेरा पानी भरने का अधिकार है । अगर उसको रोका दे या पानी भरने से मना कर दे तो यह उसके मूलभूत अधिकारों के विपरीत है, ऐसा समझता है। अगर जनता को अपने मौलिक अधिकारों के बारे में मालूम न हो और न मालूम होने की वजह से कानून बना-कर उनका उपभोग नहीं करने देना चाहते तो यह आज के जनतन्त्रीय परम्परा के अनुकूल चीज नहीं है ।

दूसरी चीज में यह अर्ज करूंगा कि जब इस बिल को क्रिमिनल ट्राइब्स इन्क्वायरी कमेटी की सिफारिश पर किया जाना था तो राजस्थान सरकार को इसके बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी ? इस तरह का सेन्ट्रल लेजिस्लेशन आ सकता था । इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं निवेदन करूंगा कि इस बिल को विचारार्थ नहीं लिया जाय, और पब्लिक ओपीनियन के लिए वापिस भेजा जाय ।

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ)—अध्यक्ष महोदय, इस बिल पर मेरा भी एक छोटा सा नोट ऑफ डिसेन्ट है । अगर आज्ञा हो तो मैं भी अपने विचार प्रकट करूं । उसमें कुछ त्रुटियां रह गई हैं, उनको भी सही करें ।........

श्री टीकाराम पालीवाल (उप मुख्य मंत्री)—क्या फरमा रहे हैं ? मुझे कोई त्रुटि नहीं मालूम होती है। Every sentence has a correct sense, I have read it.

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ)—मैं बता दूंगा। वह सबके सामने आ जायगी। आप घबराओ नहीं । पहले से ही घबराने की जरूरत नहीं है । माननीय उपाध्यक्ष,.......

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—यह हो क्या रहा है। There is an amendment moved by the Leader of the Opposition.

श्री उपाध्यक्ष–नोट आफ डिमेन्ट है, इस बात पर बोलें ।

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ)–जी हुकुम........

श्री हरिकृष्ण व्यास–With your permission, Sir, I want to....
मैं इस एमेन्डमेंट के समर्थन में कुछ बातें कहना चाहता हूं.......

श्री उपाध्यक्ष–हां, कहिये ।

श्री हरिकृष्ण व्यास–पहली चीज जो मैं सदन के सामने रखना चाहूंगा वह यह है कि........

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)–On a point of information, Sir, when the amendment is before the House we should decide the time to be allotted to each member: otherwise the whole time may be taken in making speeches on the amendment.

श्री जसवन्त सिंह–इसके लिए मैं अर्ज करूंगा कि बिल की बहस के लिए कोई समय नहीं दिया जाता है । जितना स्पीकर समय देना चाहें उतना समय दिया जा सकता है । राजप्रमुख के भाषण में जरूर समय नियत किया जाता है; लेकिन बिल पर बहस करने के लिए कोई स्पीकर जितना बोलना चाहे उतना बोलने का उसको अधिकार है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास–जब मौका आये इस सवाल पर रूलिंग देने का तब आप दीजिये । अभी तो मैं इस एमेंडमेंट पर कुछ शब्द बोल रहा था और बोलना शुरू करूंगा फिर से ।

यह जो बिल सिलेक्ट कमेटी के पास जाकर सदन के सामने आया है और उस पर फिर से विचार करने के लिए आज प्रस्ताव यहां रखा गया है, मैं समझता हूं कि सिलेक्ट कमेटी ने, इस बिल पर जिन बुनियादी सिद्धान्तों के आधार पर विचार करना चाहिये था, वह विचार उसने नहीं किया । मुझे ऐतराज है इस बिल पर इसलिए कि यह क्रिमिनोलाजी के बुनियादी सिद्धान्तों के खिलाफ है; समाज में कुछ व्यक्ति गलती करते हैं, भूल करते हैं, उनकी आदतें बिगड़ती हैं, गुनाह करने के रास्ते पर वे जाते हैं, तो फिर ऐसे व्यक्ति के ऊपर क्या हमारा दृष्टिकोण रहना चाहिए, व्यवहार रहना चाहिए ? वर्तमान जगत के अच्छे से अच्छे क्रिमिनोलॉजिस्टों की राय है और हम गौर करें तो पता चलेगा कि हमारा दृष्टिकोण उन्हें केवल दंड देने का नहीं होना चाहिए, उन्हें सुधारने का दृष्टिकोण होना चाहिए । क्रिमिनल्स आर रियली विक्टिम्स ऑफ दी सोसाइटी । समाज की खामियों, कमजोरियों की वह प्रक्रियाएं हैं । इस बिल में यह दृष्टिकोण रखा गया है कि जो जुर्म करें तो उसके साथ जानवर का सा व्यवहार करने से वह सुधर जाय । पुलिस थाने पर ले जाकर हाजरी दिलाई जाय, सेटलमेंट के नाम पर स्लेवकेम्प्स बना दिये जायं और इस प्रकार के अधिकार उस बिल के अन्दर दिये गये हैं । मेरे खयाल से कि इस प्रकार के कानून कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं इसका अन्दाजा केवल इससे ही लगाया जाना चाहिए कि सदन के जो वर्तमान नेता हैं उनको एक समय इसी प्रकार के कानूनों के मातहत रात को खुद को पुलिस के थाने

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

में जाकर सोने के लिए मजबूर किया जाता था । कल सदन के माननीय नेता कह रहे थे कि उन्होंने एक जमाना देखा है, लाठियां चलती देखी है, घोड़े दौड़ते देखे हैं और ऐसी तरह तरह की चीजें देखी हैं उन्होंने । यह सही बात है । उन्होंने शायद वह भी जमाना देखा है जब कि इस प्रकार के कानूनों के मातहत रात को उनको नंबर १० में शुमार करके उस जमाने की प्रतिक्रियावादी सरकार पुलिस थाने में लेजाकर सुलाती थी, मजबूर करती थी और इन्सानियत से अपने आपको परे नहीं समझने वाले किसी भी व्यक्ति को गुस्सा आने की बात है, बहुत से लोगों के साथ अन्याय करने वाली बात थी । ऐसा हम यह सब मानते हैं। लेकिन ताज्जुब तो यह है कि वह सब देखा और सब देखने के बाद ऐसा जमाना यह कहां से आगया कि उस प्रकार के कानून के मातहत, जैसे काले कारनामे पहले हुए थे आज फिर इसी प्रकार के कानून हमारे सामने पेश किये जायं । तो पहला मुझे एतराज यह है, माननीय उपाध्यक्ष, कि यह कानून क्रिमिनोलाजी के सिद्धान्त के खिलाफ है ।

दूसरा कारण, जिस वजह से मैं इस एमेंडमेंट का समर्थन कर रहा हूं वह इसलिए कि इसमें सरकार के एक्जिक्यूटिव अफसरों को खास करके जिलाधीशों, और बाद में सरकार को खुद को बहुत ज्यादा अधिकार दिये गये हैं । ऐसे मामलों में जहां मनुष्य के बुनियादी अधिकारों का सवाल उठता है उनका केवल एक्जीक्यूटिव अफसरों के हाथमें सारी की सारी बातें छोड़ देना न्याय संगत नहीं हो सकता है, और यह ठीक भी नहीं हो सकता है, और इसलिए भी मेरी यह राय है कि इस बिल को पब्लिक ओपीनियम के लिये सर्क्यूलेट किया जाना चाहिए ।

तीसरा कारण में अंत में कहदूं कि जिस वजह से मैं इस प्रस्ताव का समर्थन कर रहा हूं वह यह कि चूंकि एक्जिक्यूटिव अफसरों के हाथ में इतने ज्यादा अधिकार दे दिये गये हैं इसलिए बिल का राजनैतिक दुरुपयोग भी किया जा सकता है । माननीय उपमुख्य मंत्रीजी इसके जवाब में क्या कहेंगे यह मुझे मालूम नहीं । लेकिन मालूम नहीं होने के बावजूद में फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूं कि इस बिल का राजनैतिक दुरुपयोग किया जा सकता है, और किस प्रकार उसकी बहुत सी ऐसी दफायें हैं जिनके मातहत राजनैतिक कार्यकर्ताओं को फ्रेम अप किया जा सकता है, जबर्दस्ती उनको दबाने के लिए उनको फ्रेम अप किया जा सकता है । मैं बहुत सी मिसालें देना उचित न समझूंगा और न आवश्यक है, लेकिन सिर्फ सदन को इत्तिला के लिए बतला दूं कि यह दफा ३३२ और ३३३ हैं और इन दफा ३३२ और ३३३ के मातहत मुकद्दमें कई बार, दूसरों को अलग जाने दीजिये, मेरे खुद पर ४, ५ चल चुके है । सही हों या गलत हों, सुबूत हो या नहीं हो; लेकिन फ्रेम अप किये जाते हैं और एक बार नहीं दो-दो बार फ्रेम अप होने के बाद कल जाकर देहातों के अन्दर काम करने वाले किन्हीं कार्यकर्ताओं, शायद और किन्हीं दूसरे लोगों को यह आदेश दिये जायगे कि थाने में आकर अपना नाम दर्ज कराओ, अपने थम्ब इम्प्रेशन दो। तो इस वजह से ऐसे बिल जिसमें सारे के सारे अधिकार जिलाधीश के हाथ में है, गलत है और यह तब्दीली भी उसमें होनी चाहिये। इन सब बातों को नजर में रखते हुए मेरा यह सुझाव है कि इस बिल को पब्लिक ओपीनियम के लिए सर्क्यूलेट करने के लिए राजी हो जाना चाहिये। मेम्बर इन्चार्ज को और हिन्दुस्तान सरकार ने जो कमेटी मुकर्रर की है उसकी रिपोर्ट को मानने से अगर कल किसी नतीजे पर पहुंचेंगे

[श्री हरिकृष्ण व्यास]
और बिल बनाना पड़ेगा तो इस प्रकार के बिल बनाने की आवश्यकता नहीं होगी । इसलिए सरकार को इस बात पर राजी हो जाना चाहिए । यही शब्द कहकर में अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)–Should I reply.

श्री गोपीलाल यादव–अभी तो बहुत से लोग बोलने वाले हैं ।

श्री मानसिंह (जमुवा रामगढ)–जिस समय इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने की सदन के नेता ने राय दी उस समय मुझे बड़ी खुशी हुई । मगर मैं भी एक कमेटी का सदस्य था और मुझे भी उसमें अपनी राय देने का मौका मिला । मैं अपनी राय के पोइन्ट्स आफ डिसेन्ट अलग दे चुका हूं; फिर भी मैं यह बता देना चाहता हूं कि यह बिल जो हमारे सामने आया है, बहुत ही खतरनाक चीज है । इसके अलावा सिलेक्ट कमेटी में इस पीस ऑफ लेजिस्लेचर को इतनी ही जल्दबाजी के साथ लिया गया जैसे कोई हवाई जहाज को उड़ाता हो । इसलिए मैं समझता हूं कि सिलेक्ट कमेटी ने इस संबन्ध में कुछ नहीं किया। सिलेक्ट कमेटी के सदस्य बिल्कुल मजबूर हो गये थे; क्यों कि इसकी रफ्तार बहुत तेज रही। इसलिए जो हमारे नेताजी ने फरमाया कि इस बिल को जनता की राय के लिए सर्क्यूलेट किया जाए, मैं तो इससे भी आगे जाता; मगर उन्होंने फरमाया कि जनता की राय के लिए सर्क्यूलेट किया जाए, इसलिए मैं यहीं रहूंगा । मैं यह कहूंगा कि जो लोग ढिंढोरा पीट–पीट कर कहा करते थे कि "काले कानून ही जनता की आजादी के दुश्मन हैं, काले कानून ही जनता को बरबाद करेंगे" इसलिए राजाओं के समय में काले कानून जब बनते थे तो वे जनता को उनकी खिलाफत करने को कहा करते थे । वे ही लोग, आज सरकारी कुर्सियों पर बैठ कर काले कानूनों को हम पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं और वह भी इतनी जल्दबाजी से और यह कह कर कि इस बिल की बहुत सख्त आवश्यकता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये हेबिच्युअल ओफेन्डर्स देशी रियासतों के समय में नहीं थे ? उस समय क्या इस प्रकार के कानूनों की आवशयकता नहीं थी ? अब आपको इसकी क्या आवश्यकता प्रतीत होती है ? आपने ऑर्डिनेन्स पास किया और उसके बाद इस बिल को यहां पर लाते हैं, और जब हम कहते हैं कि हम लोग सब यहां पर पब्लिक के नुमायन्दे हैं और पब्लिक के चुने हुए हैं इसलिए इस प्रकार के काले कानून को पास करने से पहले इस विषय पर जनता की राय ले लेना जरूरी है तो आप जनता की राय लेने से घबराते क्यों हैं । आप घबरा कर यह कहते हैं कि यह नहीं, वह नहीं; यह तो गलत धारणा है । श्रीमान् उपाध्यक्ष, मैं यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के जितने भी कानून हों उनको इस सदन में लाने से पहले बहुत सावधानी से काम लेना चाहिए और कानून बनाने वालों की राय लेनी चाहिये; क्योंकि हम लोग अभी कानून बनाने में इतने माहिर नहीं हैं जितने कि पहले के शासक थे । हम लोग नये हैं । हम लोग नये होने के कारण ऐसी गलतियें कर जाते हैं और उन गलतियों की वजह से रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का वातावरण पैदा करना पड़ता है । हमें हाल ही में घटी घटना को देख कर दुख के साथ कहना पड़ता है कि किशनगढ मिल का मामला अदालत में पेश होता है तो वे यह कहते हैं कि यह सब जुडिस है । जब हम कहते हैं तो कहा जाता है कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से......

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)–आप विषय से दूर जा रहे हैं ।

श्री मानसिंह—मैं अपनी विचारधारा को प्रकट कर रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—आप रिलेवेन्ट बात ही कहिये ।

श्री मानसिंह—मैं इसकी भूमिका बांध रहा हूं ।

श्री टीकाराम पालीवाल—आप अपनी स्पीच समाप्त करने पर आये हैं; फिर भी यह कहते हैं कि भूमिका बांध रहा था ।

श्री मानसिंह—इसमें यह चीज है कि अगर कोई गरीब आदमी जिसको झूठ-मूठ भी सजा हो जाये और पुलिस उसको फंसा दे और वह अपना बचाव इसलिए नहीं कर सके कि वह गरीब है और वह पुलिस के झूठे आरोपों की पैरवी नहीं कर सकता तो ऐसी हालत में उसको दो बार जेल जाने की तकलीफ उठानी पड़ती है तो इसका उस कानून के मातहत हम सरकार को अधिकार देते हैं कि उस व्यक्ति को अपने गांव में से हटा कर किसी दूसरी जगह भेज दे या उस पर सरकार कोई खास पाबन्दी लगाये कि जिससे वह अपनी जिन्दगी आजादी से न बिता सके । इसके अलावा इस कानून के बन जाने से सबसे ज्यादा नुकसान मीणों को होगा जिनको सरकार ने अभी पिछड़ी हुई जातियों में शुमार किया है । मैं यह कहूंगा कि उन लोगों को एक तरफ तो हम आजादी दे रहे हैं और उन पर लागू क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को हटा रहे हैं और दूसरी तरफ से इस प्रकार के काले कानून बना कर उनकी आजादी को खतम करने की सरकार कोशिश करती है । तो मैं यह कहूंगा कि हम इस प्रकार के काले कानून का हर स्टेज पर विरोध करेंगे । यदि पब्लिक यह समझे कि यह ठीक है और हमारे उप-मुख्यमंत्री इस बात का साहस करें कि इस बिल को जनता की राय के लिए भेजा जाय और भेजने के बाद पब्लिक इसको मंजूर कर लेगी तो हम इस बिल का स्वागत ताली बजा कर करेंगे ।

श्री टीकाराम पालीवाल—Shall I reply then ?

श्री गोपीलाल यादव—माननीय उपाध्यक्ष, यह मेरा पहला ही मौका है; इस विषय पर बोलने का । मैं पहले दूसरे विषय पर बोला था ।

हैबिच्युअल ओफेन्डर्स बिल यदि लोगों के अन्दर से ओफेन्सेज को कम करने की भावना से बनाया जा रहा है तो मैं समझता हूं कि इसके लिये किसी को एतराज नहीं हो सकता; लेकिन सबसे मुख्य चीज जिस पर कि हमको विचार करना है वह यह है कि इस बिल को पास करने का नतीजा क्या होगा और हमारे फण्डामेण्ट्ल राइट्स पर इसका क्या असर होगा । फन्डामेन्टल राइट्स में मैं चोरी करना, डाके डालना आदि शामिल नहीं करता हूं । इससे मेरा मतलब यह है कि हमारे देश में कानून की उपयोगिता जो हमको मिली है और जो हमारे विधान ने हमें दी है और आज हम जिसके आधार पर यह कहते हैं कि हम हिन्दुस्तान में पैदा हुए हैं और हमारा देश आजाद है और हमको अदालतों में न्याय प्राप्त करने का हक हासिल है, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक तरफ तो विधान हमको एक चीज देता है; वही चीज दूसरी तरफ इस तरीके के कानून को बना कर आप हमसे छीननेका अधिकार रखते हैं ।

[श्री गोपीलाल यादव]
हूं मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल में ऐसी कई क्लॉजेज हैं जिनमें यह लिखा है कि जो कुछ कलेक्टर या सरकार कर देगी उसको किसी भी अदालत में चेलेन्ज नहीं किया जा सकता । आप जानते हैं कि इसका क्या नतीजा होगा । एक ताजा मिसाल मेरे सामने है जिसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं । यदि डि० लीडर साहब (श्री टीकाराम पालीवाल) चाहें तो इस बात को नोट कर लें । एक कानून इवेक्यूई प्रोपर्टी के संबन्ध में बना हुआ है । उसमें यह बात है कि इवेक्यूई प्रोपर्टी के अधिकारी जो भी आज्ञा देंगे वह किसी भी अदालत में चेलेन्ज नहीं की जा सकती है । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मैंने ऐसे फैसले देखे हैं, उन अधिकारी के, जिसमें कोई सबूत नहीं कि यह जमीन या मकान उस कानून की तहत में आता है या नहीं, लेकिन चूंकि हुक्म देने वाले अधिकारी को उस मकान या जमीन को अपने मित्र को देना है इसलिए वे उसे इवेक्यूई प्रोपर्टी डिक्लेयर कर देते हैं । यदि उसी केस को हाई कोर्ट में रखा जाए तो आपको मालूम हो कि वास्तव में क्या बात है । वे कहते हैं कि इवेक्युई प्रोपर्टी नहीं है; लेकिन सिविल कोर्ट को इस संबन्ध में कोई अधिकार नहीं है । मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि इस प्रकार आप कानून बना कर सिविल कोर्टस् के अधिकारों को छीन रहे हैं । अगर आप मुझे क्षमा करें तो मैं यह कहदूं कि आप इस प्रकार सिविल कोर्ट के अधिकारों को छीन कर जनता के साथ गद्दारी कर रहे हैं; तो मेरे ये शब्द कड़े नहीं होंगे । क्योंकि जिस कांस्टिट्यूशन ने हमें आजादी दी है उसे छीना जा रहा है ।

एक सदस्य—माननीय अध्यक्ष, क्या "गद्दारी" शब्द पार्लियामेंटरी शब्द है ?

श्री गोपीलाल यादव—मैंने क्षमा ही इसी लिए मांगी थी और फिर क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई शब्द नहीं है । मैं एक चीज साफ शब्दों में कह देना चाहता हूं कि इंडियन कॉन्स्टीट्यूशन (भारत के संविधान) में जो हमारे बोलने, चलने-फिरने की आजादी के अधिकार दिये हैं, जो हमारे फंडामण्टल राइट्स हैं, उनकी आजादी है, उस पर आघात होता है तो यह बड़ा अनपेट्रियोटिक है । गद्दारी नहीं तो इससे हल्का शब्द इसके लिए और कोई नहीं है ।

कहा जाता है कि तुम्हें न्याय मिलेगा । इंडियन पीनल कोड और अन्य कई कानून हैं, सेंट्रल गवर्नमेन्ट के ला आफ क्राइम्स में एक धारा और एड कर दी है कि दो दफा क्राइम करने वाले को एक कोलोनी में बसा देंगे तो कोई बात नहीं है, परन्तु जब तक यह चीज कानून के रूप में नहीं बनती जो सारे देश पर लागू हो, उसको बदलने का हमारी गवर्नमेन्ट को और हमें कोई अधिकार नहीं है ।

एक तरफ यह कानून बनता है कि तुमको तुम्हारी प्रोपर्टी पर पूरा अधिकार है, दूसरी तरफ आप यह कह दें; कि तुम इसका किराया १ रुपये से ज्यादा नहीं ले सकते ।

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—माननीय अध्यक्ष, यह हाउस का समय व्यर्थ जा रहा है; पोइंट की बात न कह कर इधर उधर की बातें करके समय को लंबा खींचा जा रहा है ।

श्री गोपीलाल यादव—"समय व्यर्थ जा रहा है" इस चीज से अन्दाज लगाइये कि हम यहां किस लिये बैठे हैं । राजप्रमुख को धन्यवाद देने के प्रस्ताव में एक मिनट का काम था । एक ने कहा, "धन्यवाद

[श्री गोपीलाल यादव]

दो" और दूसरे ने कहा, "मत दो"; उस पर ४ दिन लगा दिये। पर फंडामेन्टल राइट्स के बारे में कहा जाता है तो कहा जाता है कि टाइम नष्ट हो रहा है? समय की पाबन्दी होनी चाहिये कि कोई बिल ३ दिन के डिस्कशन के पहले पास नहीं हो, या दस दिन के डिस्कशन के पहले पास न हो, ऐसा कोई न कहे। हमारे कांग्रेस के लीडर्स पहले एक एक बिल पर १०-१० घंटे और कई दफा तीन तीन दिन तक बोला करते थे। पर उस समय अंग्रेजों का टाइम था, बोल सकते थे; पर अब तो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेन्ट है, नहीं बोल सकते। इसके लिये आप टाइम मुकर्रर कर दीजिये।

मैं निवेदन कर रहा था कि हम अगर कोई ऐसा कानून बनाते हैं जिससे व्यक्तियों के फंडामेन्टल राइट्स का हनन होता हो, चुनौती हो तो यह अच्छा नहीं।

एक लिस्ट बना दी और ३०० सेक्शन्स लगा दी, उन सेक्शन्स में एक सेक्शन और जोड़ देने से आपको कौन रोक सकता है। उसमें भी कह देंगे कि अगर एक आदमी असेम्बली के सामने आकर प्रदर्शन करता है कि मेरे साथ अन्याय नहीं किया जाय और उसको भी आप हेबिच्युअल ओफेन्डर्स में ले आयेंगे। एक दफा गिरे तो आप फिर गिरते ही जायेंगे। इसलिये कानून की परंपराओं में मजबूत ही बनिये चट्टान की तरह। आपको ऐसी बातों को, जो अफसरों ने कह दिया वही कर दिया, चोरियां हुई तो पुलिस के अफसरों ने रिपोर्ट कर दी कि आपने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट रद्द कर दिया इससे चोरियां हो रही हैं....................

श्री उपाध्यक्ष—सर्क्युलेशन के मुताल्लिक बोलिये।

श्री गोपीलाल यादव—यह सारे सदन के विचार करने की बात है कि जनता की राय जानने के लिय इसे सर्क्युलेट किया जाय या नहीं। तो इस सम्बन्ध की सारी बातें बताऊंगा, तभी मेरे मित्र मेरे पक्ष में राय देंगे कि इसे सर्क्युलेट किया जाय। इनको पक्ष में लेने के लिये मुझे समय दिया जाय कि मैं उनको समझा कर अपने पक्ष में ले सकूं।

आपने इसमें एक तो सेक्शन्स की लिस्ट नहीं दी। अगर यह दे देते तो कि चोरी और डाका दो चीजें हैं; उनके करने वाले आदमियों को हेबिच्युअल ओफेन्डर माना जाय तो यह चीज मानी जा सकती है। काउन्टरफिट कोइन रखना इसमें शामिल है, अभी कोई आदमी नहीं जानता कि काउन्टरफिट कोइन किसे कहते हैं और उसके पास मिल जाय तो वह हेबिच्युअल ओफेन्डर करार दे दिया जायगा; यह कोई अच्छी चीज नहीं है।

कहने का मतलब यह है कि इसमें लिस्ट ऐसी हो जिसके निस्बत जानने की जरूरत है कि जनता क्या राय रखती है। मैंने इस लिस्ट को पढ़ा है, इसमें रिश्वत देना यह जुर्म क्यों नहीं रखा गया है? रिश्वत लेना तब तक बन्द नहीं होगा जब तक कि रिश्वत देने वालों को सजा नहीं दी जाती। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इस तरह से लिस्ट पर विचार करने के लिये पब्लिक ओपीनियन लेने की जरूरत है।

[श्री गोपीलाल यादव]

कोर्ट के अधिकार को भी आप छीन सकते हैं कि नहीं ? यह अधिकार आपको नहीं है, पब्लिक भी यही ओपीनियन देगी कि कोर्ट के अधिकार छीनने का अधिकार आपको नहीं है। अगर कोई धारा जोड़नी है तो इन्डियन पीनल कोड में जोड़ी जा सकती है। इससे हम किसी आदमी को शरीफ बना सकते हैं। एक बच्चे को कह दें कि शरारती है तो वह आगे चल कर शरारती हो जाता है और कहें कि भला है तो शरारत छोड कर भला हो जायगा। हरेक आदमी को कोई गुनाह करते समय पब्लिक ओपीनियन का डर रहता है, शर्म रहती है। जब आप खुल्लमखुल्ला साइनबोर्ड लगा देंगे तो शर्म रहेगी ही नहीं, वह चौगुने ढंग से जुर्म करने लगेगा।

इसके बाद इसका दुरुपयोग अफसर लोग कर सकते हैं या नहीं, यह भी पहले विचारने की चीज है। आप यह देखेंगे और शायद आपको पता होगा और यदि नहीं है तो पुलिस की रिपोर्ट देखेंगे तो पता चलेगा कि इतने मर्डर के केसेज होते हैं, डकैतियों के इतने केसेज होते हैं इनमें एक्यूज्ड (जुर्म करने वाले) बरी कैसे हो जाते हैं ? अदालतों से बरी होने का कारण वकील लोग नहीं हैं, उनके बरी होने का कारण सिर्फ यह है कि इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेन्टवाले उनसे मिल जाते हैं और उनसे वे कहते हैं कि तुम्हारा चालान तो करना ही होगा क्योंकि होम मिनिस्टर के पास रिपोर्ट भेजनी पड़ती है कि इतने एक्यूज्ड (अभियुक्त) पकड़े गये, लेकिन हम कार्यवाही में इतना नुक्स रख देंगे कि तुम अदालत से बरी हो जावोगे। यदि एक अदालत से बरी नहीं हुए तो ऊपर की अदालत में जाकर बरी हो जावोगे। इस तरह से चोर और अन्य अपराधी बरी हो जाते हैं। मैं एक चीज और बताना चाहता हूं। मेरे एक मित्र ने मुझ से कहा कि जितने भी चोर और डाकू हैं उन सब की तरफ से पुलिस स्टेशनों के लिये रकम बंधी हुई है। उनको यह रकम बराबर भेजनी पड़ती है। इसलिये वे कहते हैं कि यदि हम चोरी करना छोड़ दें तो पुलिस स्टेशनों के लिये जो रकम बंधी हुई है उसको कैसे दे सकेंगे। यदि वहां रकम नहीं पहुंचाते हैं तो हमारी आफत आ जाती है; इसलिये हमको चोरी करना पड़ता है। जब तक आप अपनी मशीनरी को ठीक नहीं करेंगे तब तक यह बिल आपकी मदद नहीं कर सकेगा; इसलिये पहले आप अपनी मशीनरी को ठीक करिये। परसों की बात है; यहां कहा गया था कि नेशन बिल्डिंग की ओर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। सड़कों की ओर तो आपका ध्यान जाता है पर केरेक्टर बिल्डिंग की ओर आपका ध्यान नहीं है। लोगों में यह भाव भरने चाहियें कि यह देश हमारा है इसलिये हम ऐसे बुरे काम क्यों करें। अमेरिका और इंग्लेण्ड में स्टॉल पर अखबार रखे जाते हैं और पास ही एक सन्दूकची रखी रहती है। लोग आते हैं अखबार उठाते हैं और सन्दूकची में अखबार की कीमत डाल देते हैं; पर हमारे यहां ऐसी बात नहीं है। यहां तो इस तरह से अखबार रख दिये जावें तो चोरी हो जावे। इसलिये आप अपनी मशीनरी को ठीक करिये। आप अपनी पार्टी की मशीनरी को भी ठीक करिये; इनसे आप ठीक तरह से काम लीजिये। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट मत लागू कीजिये. निर्णय करने के लिये अदालतें हैं। हमारी गवर्नमेन्ट अदालतों से क्यों डरती है। यही एक कीमती चीज हमारे पास है। आपका यदि वश चले तो आप हरेक चीज के लिये यह करदें कि यह तो हमारा काम है; इसके बारे में अदालतों में विचार नहीं किया जा सकता। नतीजा यह होगा कि जो आजादी हमको मिली है वह खतम हो जायगी। इन बिल्स के बारे में पब्लिक ओपीनियन जानना बहुत जरूरी है। पब्लिक की राय आने पर हम फिर विचार कर सकते हैं। इसके लिये जल्दी भी नहीं है क्योंकि आप कहते हैं कि

Page No.42

[श्री गोपीलाल यादव]

आपकी पुलिस अच्छी तरह से काम कर रही है, लॉ एन्ड ऑर्डर की स्थिति सुधर रही है। आप जल्दी मत कीजिये, नहीं तो लोग कहेंगे कि यह एसेम्बली गलत तरीके से हमारे अधिकार छीन रही है। एक तरफ किसानों की जमीन छिन रही है और दूसरी तरफ उनके अधिकार छिन रहे हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन ने इसे पब्लिक ओपिनियन के लिये सर्क्युलेट करने का जो मोशन रखा है उसके बारे में मैं हाउस के नेता से अपील करूंगा कि वे इसे जरूर स्वीकार करें।

श्री रूपनारायण शास्त्री–अध्यक्ष महोदय, मुझे इसके बारे में बहुत अधिक नहीं कहना है लेकिन एक बात अवश्य कहूंगा कि यह बिल इंग्लिश में बनाया गया है इसलिये सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने में कतिपय सदस्य असमर्थ हैं। इसलिये मैं यही कहूंगा कि सिर्फ यही बिल नहीं बल्कि प्राय: सभी बिल हिन्दी में आने चाहियें। यदि हिन्दी में नहीं बनाये जा सकें तो उनका अनुवाद तो अवश्य ही हिन्दी में आना चाहिये। हो सकता है कि कोई सदस्य हिन्दी में बिल नहीं कर सकते हों, लेकिन उसका अनुवाद तो हिन्दी में हो ही सकता है ताकि हम केवल हमारे नेता के विचारों पर ही आश्रित न रहें बल्कि हम स्वयं भी अपने विचार प्रकट कर सकें।

बिल के विषय में मैं यह कह चुका हूं कि इसकी पूरी धाराओं को मैं पूरी तरह से नहीं समझ सका हूं। अभ्यस्त अपराधी बिल इस का नाम है। इसका अर्थ यह है कि बार २ अपराध करने का जिन्हें अभ्यास हो गया हो उन्हें दण्ड दिया जाय और वे अपराध करना छोड़ दें; यही मन्शा है। जो बार बार चोरी करते हैं उन्हें दण्ड नहीं दिया जाय। ऐसा नहीं, किन्तु दण्ड देना चाहिये जिससे कि उनकी चोरी करने की आदत दूर हो जाय। महाराज मनु ने कहा है कि–"अदण्ड्यान् दण्डयन् राजा, दण्ड्यांश्चैवाप्यदण्डयन्। अयशोमहदाप्नोति, नरकं चैव गच्छति ॥" पर बार बार आदत पड़ जाय ऐसा दण्ड नहीं देना चाहिये। उन्हें ऐसा दण्ड देना चाहिये कि जिससे उनके अपराध करने की आदत छूट जाय। जिनकी अपराध करने की आदत है उन्हें दण्ड नहीं दिया जाय; यह कोई सरकार नहीं चाहेगी, न किसी गवर्नमेंन्ट द्वारा ऐसा हुआ है। अपराधियों को दण्ड दिया जाय इसमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन जो जन्म से अपराधी हैं उनके लिये गवर्नमेन्ट की नीयत यह होनी चाहिये कि उन्हें ऐसी नसीहत दे कि वे भविष्य में अपराध करना छोड़ दें। यह नहीं होना चाहिये कि जो अपराध करें उन्हें अलहदा बसा दिया जाय। उसका परिणाम वही होगा जो मीणों का हुआ है। मीणों में सभी चोर नहीं होते हैं। कुछ लोग उनमें चोरों की तलाश करने वाले भी होते हैं। कई मीणे खेती भी करते हैं। लेकिन प्रत्येक मीणे के लिये पुलिस स्टेशन में हाजरी देना जरूरी हो गया था यानी मानव अपराध से लिप्त हो गया था। यदि यही मन्शा गवर्नमेन्ट की है तो वह खराब है। यदि यह मन्शा है कि मीणा भी मानव बने और उसकी चोरी करने की आदत छूट जाय और उसके लिये कोई कानून बनाया जाय तो उसे उपयुक्त कहा जा सकता है। लेकिन यहां जितने भी भाषण हुए उन्हें सुनने से यह मालूम हुआ कि इस बिल द्वारा हमारे मानवीय अधिकारों पर कुठाराघात किया जा रहा है। हमारे पास न्यायालय हैं, जितनी बार अपराध करेंगे उतनी ही बार सजा पायेंगे। जितना संगीन अपराध होगा उतनी ही बुरी सजा न्यायालय देगा। अपराधों के लिये सजा देने के लिये न्यायालयों की स्थापना की गई है तो फिर इस एसेम्बली को क्या जरूरत है

Page No.43

[श्री रूपनारायण शास्त्री]

कि वह दस्तन्दाजी करे । यदि गवर्नमेन्ट की यह नीयत है कि हमारे यहां राम-राज्य कायम हो जाय तो वह लोगों में यह भावना भरे कि यदि पाप करेंगे तो नरक मिलेगा । लेकिन पहले गवर्नमेन्ट को खुद को नेकनियत बनना पड़ेगा ; क्योंकि "यथा राजा तथा प्रजा" यानी प्रजा राज्य का अनुकरण करती है । इसलिये हमारा जो राजकीय वर्ग या शासकीय वर्ग है उन्हें अपनी नेक नियती बताना सब से अधिक आवश्यक है । प्रत्यक्ष में जो बातें दिखाई दे रही हैं उनका बहुत बुरा असर पड़ रहा है ।

राजस्थान का एकीकरण हुआ और इस एकीकरण में शायद महीना दो महीना या इस से कम समय लगा होगा, लेकिन राजस्थान के अध्यापकों की तनख्वाह के एकीकरण में ३ साल लग गये लेकिन अब भी वह पूरा नहीं हो पाया....

श्री मोतीलाल–ओन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर, सर ...

श्री रूपनारायण–(जारी रखते हुये) मैं इतना बताना चाहता हूं कि हमारी ...

श्रीमोतीलाल–हाउस के सामने मोशन यह है कि बिल को पब्लिक ओपिनियन के लिये दिया जाय । क्योंकि प्रिन्सिपल्स में मतभेद है और माननीय सदस्य यह मानते हैं कि दण्ड देना उचित है तो वे किस विषय पर बोल रहे हैं यह पता नहीं चल रहा है । वह कहानियां कह रहे हैं, श्लोक पढ रहे हैं, पर किसके समर्थन में या विपक्ष में बोल रहे हैं; यह पता नहीं चलता ।

श्री रूपनारायण–आप कहते हैं कि यहां पर कहानियां कह रहे हैं । मैंने यहां कौनसी कुत्ता-बिल्ली की कहानी कही । श्लोक पढ़ना अनुचित नहीं है, क्योंकि न्यायालयों में भी स्मृतियों की मान्यता ही है, और मेरे माननीय मित्र जो यह कह रहे हैं, कि आप पक्ष में बोल रहे हैं या विपक्ष में कह रहे हैं इस संबन्ध में मैं इतना ही कहूंगा कि मैं निष्पक्ष होकर वस्तुस्थिति पर प्रकाश डाल रहा हूं । इस कानून द्वारा यदि गवर्नमेन्ट कर्मचारियों ने नेक नियती से काम न किया तो, अपराधियों की संख्या अधिक बढेगी । मैं गवर्नमेन्ट की नियत के सम्बन्ध में पक्षपात पूर्ण उदाहरण दूंगा । तहसील नीम का थाना में ८ मीलें तेल की हैं उनमें ४ को, जो कांग्रेसी पूंजीपतियों की हैं, उनको तो संरक्षण मिल रहा है, यानी उन मीलों को राहदारी टैक्स, यानी कस्टम ड्यूटी नहीं देनी पड़ती बाकी चार को देनी पड़ती है, इससे चार मिलें जिनको संरक्षण नहीं है घाटे में चल रही हैं, और बन्द होने की स्थिति में हैं और जिनको संरक्षण मिल रहा है वे खूब कमाती हैं । इसका कारण यह है, उन मीलों को जिनको संरक्षण प्राप्त है, यानी कस्टम ड्यूटी नहीं देनी पड़ती वे मन्दे भाव में बेच सकती हैं । लेकिन जिनको ड्यूटी देनी पड़ती है, वे मन्दे भाव में संरक्षण प्राप्त मिलों की प्रतिस्पर्धा में ठहर नहीं सकती । तो क्या यह असमानता का व्यवहार, नेकनियत का प्रमाण है, इससे अच्छे २ व्यापारियों में टैक्स चुराने की मनोवृत्ति ब रही है । अर्थात कुछ आदमी उनके नाम से यानी मिल मालिकों के नाम से माल बुक करवाते हैं और मिलंवालों से मिल जाते हैं । अतः मैं यह कह देना चाहता हूं कि अगर गवर्नमेन्ट मशीनरी की नेकनियती बनी रहेगी तो सद्भावना पैदा होगी । अगर इस बिल में कहीं इस प्रकार का क्लॉज होता जिससे कि सद्भावना बढ़ेगी तो मैं अवश्य ही उसका समर्थन करता । इस बिल से तो यही समझा जावेगा कि

[श्री रूपनारायण शास्त्री]

मानव अधिकार छीने जारहे हैं और कोर्ट के भी अधिकार छीने जा रहे हैं । अगर इस बिल में कोई ऐ ी बात नहीं है तो प्रजा में प्रसारित करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए । प्रजा में लोग बड़े समझदार भी हैं और वे समझदारी से इसका उत्तर भी देंगे । बस में इतना कहकर अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्री भैरूं सिंह (केलवा)—माननीय उपाध्यक्ष जी, यह बिल क्रिमिकोलोजी, साइकोलोजी और सोशियोलोजी तीनों ही सिद्धान्तों के विपरीत है। इस बिल को पास करने से भविष्य में यह समझा जावेगा कि उस जमाने में ऐसे लोग रहते थे जिनके लिये इस प्रकार के बिल की आवश्यकता पड़ी और जो लोग हेबिचुअल ओफेन्डर थे । अतः हमारे समय में ऐसा बिल रखा जाता है तो यह हमारे लिय बड़ी शर्म की बात है ।

अमरीका और दूसरे देशों में जहां एक ओर अपराधियों को कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं, पेरोल दी जाती है, वे लोग अपने भाइयों से मिलते हैं, उनको नागरिक प्रणाली की शिक्षा दी जाती है, वहां दूसरी ओर इस बिल के द्वारा ऐसा मालूम पड़ता है कि जो लोग बाहर हैं उनको भी चारदीवारी में लिया जा रहा है, हालांकि नजरबन्दी और चारदीवारी में भेद अवश्य किया जा रहा है । यह प्रयास बिलकुल गलत प्रयास है और यह प्रजातन्त्र के खिलाफ है । यदि यह मनोभावना है कि हरएक आदमी को कैदी बना दिया जाय, चाहे वह जेल में हो या चारदीवारी में ; तो भी यह भावना बिलकुल गलत है और यह जेल से भी खराब होगी । जेल में तो कैदियों को काम करना पड़ता है, किन्तु उन लोगों को जो हेबिच्युअल ओफेन्डर्स होंगे उनको पुलिस वालों को पैसा देना पड़ेगा और पुलिस वाले पैसा भी लेलेंगे और उनको उलटा हेबिचुअल ओफेन्डर भी करार देंगे । इससे अपराध बढेंगे और हेबिच्युअल ओफेन्डर्स की अलग क्लास बन जायगी । मैं आपको ऐसे केसेज बताना चाहता हूं कि जिन गांवों में पुलिस वाले जाते हैं और उन गांवों में वे लोगों से कहते हैं कि यहां डाकू छिपे हैं आप बताते क्यों नहीं ? वे लोग उन लोगों को पैसा देते हैं फिर भी वे लोग उन लोगों को कहते हैं कि आप लोगों ने डाकुओं को शरण दी है। अतः हम इस प्रकार का एक्ट बनाकर महज उन लोगों को शय दते हैं। जिन लोगों को हेबिचुअल ओफेन्डर करार दे दिया जाता है वे हाजरी से बचने के लिये उन पुलिस वालों को पैसा देते हैं और इसके सिवाय उनकी और कोई भावना नहीं होती; किन्तु इसके विपरीत हम लोगों को इस प्रकार का एक अलग क्लास में बांटने को प्रोत्साहित करते हैं । इस प्रकार का बिल क्रिमिनोलोजी के सिद्धान्त के बिलकुल विपरीत है, हम लोगों को नागरिक नहीं बना रहे हैं बल्कि हेबिच्युअल अपराधी बना रहे हैं। जो लिस्ट दी गई है उसमें एक अपराध करने पर वह अपराधी की परिभाषा में आ जाता है और जो चार बार अपराध करते हैं उनको अपराधों में नहीं लिया जाता है । अपराध हर एक से होता है । यह पृथ्वी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण पर आधारित है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो चार-बार अपराध करते हैं उनको क्यों छोड दिया जाता है और केवल जो एक बार ही अपराध करते हैं उनको ही क्यों हेबिच्युअल ओफेन्डर गिना जाता है ?

दूसरी बात इस सम्बन्ध में जो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को ही इस बिल में दोहराया गया है । ऊपर से यह साबित किया गया है कि हम कितने सुधारवादी

[श्री भैरोंसिंह केलवा]

हैं । इस प्रजातन्त्र के युग में सब का हक है कि वह अपनी उन्नति करे, वोट दे । फिर किस प्रकार यह हैबिचुअल ओफेन्डर्स की क्लास बनाई जाती है । यह तो डेमोक्रेसी के फन्डामेन्टल सिद्धान्तों के विरुद्ध होगा । यह तो वही बात होगी जैसी कि कहावत है कि पुरानी शराब को नई बोतल में भरा जा रहा है । अतः इसके नाम में भेद कर इसको और रूप में यहां रखा गया है । मेरे खयाल से तो यह एक गलत तरीका है, अध्यक्ष महोदय । क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से भी यह खराब है । मैं व्यक्तिगत तो नहीं कहूंगा किन्तु इतना कहूंगा कि कुछ लोगों की बातचीत हुई । मैं उन व्यक्तियों का नाम तो नहीं लूंगा । वे मेरे जिले के ही रहने वाले हैं । उनके शब्दों से मालूम होता है कि हम लोग भी उस क्लास में आ जावेंगे । मैं अर्ज करूंगा कि यह बिल इन चीजों पर खास असर रखता है । यह भविष्य में आने वालों के लिए खराब चित्र पैदा करता है, जेल के अन्दर और बाहर रहने वालों को कैदी की तरह बनाता है, पुलिस में भ्रष्टाचार बढ़ाता है । अगर इस बिल को पब्लिक ओपीनियन के लिए सर्क्युलेट कर दिया जाय तो मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है । मेरी आपसे राय है कि इस बिल को अवश्य ही पब्लिक ओपीनियन के लिए भेजा जाय ।

श्री सोहनलाल—माननीय उपाध्यक्षजी, विरोधी दल की ओर से जो प्रस्ताव रखा गया है, उसका मैं विरोध करता हूं । मैं भी सिलेक्ट कमेटी का सदस्य था और सबसे पहले कुछ सदस्यों ने यह राय रखी कि यह फन्डामेन्टल राइट्स को अफेक्ट करने वाला बिल होगा । कमेटी ने इसके बारे में सोचा और वह इस निर्णय पर पहुंची कि यह बिल फन्डामेन्टल राइट्स को अफेक्ट नहीं करता है । मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे देश में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट था और स्वतन्त्रता के बाद भी जुर्म करने वालों को नहीं छोड दिया गया है । इन्डियन क्रिमिनल कोड की धारा ७५ भी स्पष्ट है और इससे जाहिर है कि एक व्यक्ति अगर ओफेन्स करता है तो उसको अधिक सजा दी जा सकती है । ठीक उसी तरह इन जुर्मों को, इन अपराधों को, न होने देने के लिए ही यह बिल रखा गया है । मैं समझता हूं कि यह बिल हमारे फन्डामेन्टल राइट्स को किसी तरह आघात पहुंचाने वाला नहीं है । मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि फन्डामेन्टल राइट्स की जो बात कही गई है उसको स्पष्ट नहीं समझा गया है । यह बिल फन्डामेन्टल राइट्स को कायम रखता है । यह देश को ऊंचा उठाने के लिए है न कि ओफेन्डर्स और डाकुओं को प्रोत्साहन देने के लिए । मैं यह कहूंगा कि इस बिल का विरोध केवल विरोध के लिए ही किया जा रहा है और इसके द्वारा सदन की भावना को उत्तेजित किया जा रहा है; जो ठीक नहीं है ।

दूसरी बात जो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि जो जुर्म करेगा उस पर यह लागू होगा । "क्रिमिनल ट्राइब्स" के व्यक्ति ने यदि कोई जुर्म किया है और महज वह "क्रिमिनल ट्राइब्स" का व्यक्ति है तो वह उस पर एक बार लागू नहीं होगा । यदि माननीय सदस्य इसको ध्यान से पढ़ें तो मालूम होता कि ३३२ जुर्म हटा दिया गया है ।

(श्री अध्यक्ष पदासीन)

और मैं दूसरी बात सदन के सामने पेश करना चाहता हूं कि एक महानुभाव ने पूछा है इसका बेसिस क्या है जिस पर कि यह बिल रखा गया है । इसके बारे में निवेदन करूंगा कि जो ज

[श्री सोहनलाल]

इस बिल के अन्तर्गत रखे गये हैं उनका बेसिस इम्मोरल का होता वही बेसिस moral turpitute का रखखा गया है । इन सब बातों को स्पष्ट करते हुए मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य इस अमेन्डमेन्ट का विरोध करें ।

एक सदस्य–अध्यक्ष महोदय, मैं भी अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–आर्डर, आर्डर ।

श्री टीकाराम पालीवाल–अध्यक्ष महोदय........

श्री हरिदत्त–On a point of Order, Sir, is the Hon'ble Member replying the motion of making a speech ?

श्री अध्यक्ष–You should have the patience of hearing.

श्री हरिदत्त–But when will others speak ?

श्री अध्यक्ष–They will be getting an opportunity when the Bill will come for consideration.

श्री हरिदत्त–Sir,..........

श्री अध्यक्ष–Order ! Order !

श्री टीकाराम पालीवाल–अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता ने यह अमेन्डमेन्ट पेश किया है कि इस बिल को पब्लिक ओपिनियन के लिए भेजा जावे । साथ ही उन्होंने अमेन्डमेन्ट पेश करने से पहले कुछ जनरल किस्म की बातें कहीं थीं, कुछ ओबजेक्शन्स किये थे । मैं छिपाना नहीं चाहता विरोधी दल के नेता के द्वारा इस प्रकार के रुख अख्तियार करने पर मुझे कुछ आश्चर्य और हैरत हुआ है । विरोधी दल के नेता का कहना है कि यह समझ में ही नहीं आता कि आर्डिनेन्स बनाने की क्या जरूरत पड़ गई । विरोधी दल के नेता एक अच्छे शिक्षित व्यक्ति हैं, विरोधी दल के नेता हैं, शासन में वे काफी दिन रहे हैं और भारत की विधान सभा के भी वे सदस्य रहे हैं। फिर भी उनके द्वारा इतने साधारण, और मैं कहूंगा, अत्यन्त आवश्यक लेकिन जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर (measure) है, कानून है; जिसके बिना गवर्नमेन्ट चल नहीं सकती, उसका इस प्रकार से विरोध करना अथवा उसके पास होने में देरी लगाने का प्रयत्न करना मेरी समझ में नहीं आया । मैं समझ सकता था उस विरोध को जो इस सदन का कोई और सदस्य जो अपने आपको एक अपनी पार्टी का एक ही सदस्य कहते हैं । हमारे देश में ऐसे लोग हैं जिनका एकमात्र उद्देश्य और कार्य-शैली यह है कि जिस किसी प्रकार से भी शासन व्यवस्था को छिन्न भिन्न किया जावे (हियर-हियर विरोधी बैन्चों से), समाज में कोई व्यवस्था नहीं रहे और केओस पैदा करने की कोशिश करें । उनकी भावना को मैं समझ सकता हूं । पर वे तो आज अधिक संख्या में यहां हैं नहीं। लेकिन उसी मंशा को पूरी करने के लिये विरोधी दल की ओर से भी ऐसी कोशिश होने लगे तो

[श्री टीकाराम पालींवाल]

यह आश्चर्य की बात है। यह ठीक है कि शासन आज विरोधी दल के हाथों में नहीं है। आज इस दल के हाथ में शासन है; लेकिन फिर भी पार्लियामेन्टरी परम्पराओं के अनुसार कोई भी विरोधी दल ऐसा करता हुआ तो नहीं देखा गया जो शासन की जो मूलभूत चीज है, जिस पर शासन टिका है: उसी को छिन्न भिन्न करने का प्रयत्न करे।

क्रिमिनोलोजी की दुहाई दी गई है। कहा जाता है कि यह अधिनियम क्रिमिनोलोजी के सिद्धान्त के विरुद्ध है। सम्भव है यह उनके हिसाब में नहीं बैठता हो पर मैं यह मानता हूं कि समाज की रक्षा-सुरक्षा के लिए उन तत्वों से जो अभ्यस्त हो गये हैं जुर्म करने के, उन पर भी नियन्त्रण रखना आवश्यक हो, जरूर करना चाहिये और इसमें किसी भी विरोधी दल को अड़चन नहीं डालनी चाहिये। फिर एक मूलभूत बात को भूल जाते हैं कि इस कानून की मंशा अभ्यस्त अपराधियों को कोई नये प्रकार का दंड देना नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य तो उनको भविष्य में अपराध करने से रोकना और उन पर नजर रखने की है। जिस सिद्धान्त को सदन ने मान लिया; उसी को फिर उठाया जा रहा है। और ऐसा लगता है कि किसी प्रकार से इसमें देर हो, पब्लिक ओपिनियन के लिए जावे और जो ऑर्डिनेन्स पास किया गया है वह लैप्स हो और इस प्रकार से बीच में गैप पैदा हो जावे। नये कानून के पास होने में और ऑर्डिनेन्स के कार्य-काल के बीच में गैप पैदा हो जाने के परिणामस्वरूप वे चाहते हैं कि अपराध बढें, चोरियां बढे, डाके बढें और फिर उन्हें यह कहने का मौका मिले कि यह हो रहा है, वह हो रहा है; चोरियां बढ रही हैं, डाके बढ रहे हैं; यह सब कांग्रेस का काम है, सरकार का काम है; सरकार शान्ति पैदा कर सकने में असमर्थ है आदि आदि।

मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मुझे ऐसा लगा था उस समय भी जैसे बहुत से माननीय सदस्य इस चीज को गम्भीरता से नहीं सोच रहे हैं, गम्भीरता से कह नहीं रहे हैं। वे इसे कोई मजाक की चीज समझे हुए हैं। यह हंसी-मजाक का विषय नहीं है और न यह अपनी भाषण की विद्वता दिखाने का वक्त है। और कई मौके मिल सकते हैं जब बारीक से बारीक तर्क निकाले जा सकते हैं और अपनी तर्क निकालने की शक्ति का प्रदर्शन किया जा सकता है। यह सब बोलते समय आपने कभी यह सोचा है कि इसका परिणाम क्या होने वाला है। इसका परिणाम यह होगा, अगर आज इसको पब्लिक ओपिनियन के लिए रैफर किया जाता है तो निश्चित रूप से यह अगले अधिवेशन तक जावेगा और अगले अधिवेशन तक यह पास नहीं हो सकता और विधान के अनुसार ऑर्डिनेन्स जो इस वक्त चल रहा है वह खत्म हो जावेगा अगर हाउस मीट करने के कुछ निश्चित समय के अन्दर उस आर्डिनेन्स के स्थान पर किसी दूसरे कानून को नहीं पास करते हैं तो वह आर्डिनेन्स तो खत्म हो जावेगा.........

श्री हरिदत्त–ओन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर।

श्री टीकाराम पालीवाल–(जारी) मुझे बड़ा खेद है कि इतने आवश्यक विषय पर इस सदन के सदस्यों ने जानकारी कम प्राप्त की और अपनी राय पहले ही देनी शुरू कर दी। मैं इसका बैक ग्राउन्ड पहेले भी बतला चुका था जब इसको पेश किया गया था।

श्री जसवन्तसिंह–On a point of order, Sir, I understand from my party members that when they wanted to speak on this bill, they had not been permitted. This is out right and fundamental right and if the Speaker—howsoever big he may be he must know that he has been elected by us and he should not encroach on our rights. We have a serious objection and we can not permit any encroachment on our rights and if you do not permit us to speak it will be an encrocahment. If our Government is so anxious to pass the bill they can do this when we are not in the House. If we are not permitted to exercise our rights we feel that we go out of this show, Assembly.

श्री टीकाराम पालीवाल–You mean to say he has not allowed you to speak when to others he has allowed. Other members can only speak when he permits.

श्री जसवन्तसिंह–On a point of order, Sir............

श्री अध्यक्ष—I have seen the point of order. I had expressed nothing to infringe on the rights of any member but so far as the inter-pretations of rules is concerned if the House passes this stage I have expressed my view and I have already said that when the bill is taken up clause by clause Hon'ble members will have every opportunity to resist the bill at every stage.

श्री टीकाराम पालीवाल–अध्यक्ष महोदय, इस कानून के सिद्धान्त को पहले ही स्वीकार कर लिया था । आज जब कि इस बिल पर क्लॉज बाई क्लॉज कन्सीडरेशन हो रहा है तो ये जो अमेन्डमेन्ट पेश किया गया है उस पर कम से कम विरोधी दल के आधे दर्जन से अधिक लोग संभवत: उस पर बोल चुके हैं ।

(विरोधी दल के सदस्यों में परस्पर वार्तालाप और तत्पश्चात विरोधी दल के नेता, श्री जसवन्त सिंह, का निश्चय)

श्री जसवन्तसिंह—Other friends may sit in the assembly and we go out.

(विरोधी दल के सदस्य सदन के बाहर चले गए)

श्री अध्यक्ष–(श्री टीकाराम पालीवाल को सम्बोधित करते हुए) You should go on.

श्री टीकाराम पालीवाल–मेरे लायक दोस्त ने जो पाइन्ट आफ आर्डर रेज किया उस पर वे दूसरे पक्ष के लोगों को भी सुनते तो न्याय होता । मेरे लायक दोस्त मित्रों ने उत्तेजना में आकर पोइन्ट आफ ऑर्डर रेज किया है, उस पर दूसरे पक्ष के क्या विचार हैं उनको सुनना भी उचित और जरूरी है । अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि विरोधी दल के नेता ने इस कानून पर यह रवैया अख्तियार किया । उन्होंने पोइन्ट आफ ऑर्डर रेज किया और अध्यक्ष को अधिकार है कि वह चाहे जैसा रूलिंग दे । मुझे भी पार्लियामेन्टरी प्रोसीजर का ज्ञान है । अध्यक्ष महोदय, यह आवश्यक मालूम होता है कि कोई भी सदन का सदस्य चाहे किसी पक्ष का क्यों न हो किन्तु जो भी वह अपने विचार रखता हो और वह उसे सदन

[श्री टीकाराम पालीवाल]
में प्रकट करे तो जब तक उस बात का समाधान अन्तिम रूप से अध्यक्ष द्वारा नहीं हो जाता तो उसके पहले ही यह मान लेना कि अन्तिम निर्णय होगया और वाक आउट कर देना; यह न्याय संगत नहीं होगा ।

फिर भी उन्होंने उचित समझा, वे चले गये । मुझे खेद है कि उनकी अनुपस्थिति में मुझे यह कहना पड रहा है । उससे भी ज्यादा खेद इस बात का है कि उन्होंने इतने आवश्यक विषय में यह रुख अख्तियार किया है । यह उनके पद के, जिस पर कि वे बैठे हैं, अनुकूल प्रतीत नहीं होता । इस समय मेरे पास कोई चारा नहीं, इसके सिवाय कि इस अमेन्डमेन्ट को रिजेक्ट किया जावे व इस कानून को विचारार्थ लिया जावे ।

श्री अध्यक्ष-Yes. Now I put the Question. The Question is, "that the Rajasthan Habitual Offenders Bill, 1952, be circulated for the purpose of obtaining opinion thereon."

(अस्वीकृत)

श्री अध्यक्ष-Motion Moved. Now the Question is "that the Rajasthan Habitual Offenders Bill, 1952, be taken into consideration."

(स्वीकृत)

Motion is adopted.

(विराम)

Now we proceed clause by clause.

श्री टीकाराम पालीवाल-अध्यक्ष महोदय, अगर आप उचित समझें तो इस बिल पर क्लॉज बाई क्लॉज वाद विवाद कल तक के लिए स्थगित कर दिया जाय, ताकि विरोधी दल भी क्लॉज बाई क्लॉज डिस्कशन में भाग ले सके ।

श्री अध्यक्ष-They can come now. Who prevents them.

(विराम)

So we proceed to consider the Bill clause by clause.

(विराम)

I have received several amendments over the Bill clause by clause and I call amendment No. 2 by Shri H.K. Vyas. On clause 2 there are three amendments and I will call the amendments numbers. I think a copy has been circulated to the Hon'ble Members. So the motion is that clause 2 of the bill be taken

[श्री अध्यक्ष]

into consideration. On clause 3 there are 3 amendments. Clause 1 will be taken in the end. So the first amendment is by Shri H.K. Vyas and Shri Bhairon Singh.

(विरोधी दल के सदस्यों का पुनः प्रवेश)

श्री भैरूं सिंह (दांतारामगढ)–माननीय अध्यक्ष, हेबिचुअल ऑफेन्डर्स बिल (अभ्यस्त अपराधी विधेयक) की क्लॉज (खण्ड) ३ में मेरा एमेन्डमेन्ट (संशोधन) इस प्रकार है :—

"In sub-clause (*a*) fifth line substitute 'thrice' in place of twice".

अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मैं यह निवेदन करूंगा कि इस धारा के अनुसार वह व्यक्ति अभ्यस्त अपराधी घोषित कर दिया जायगा जिसको १० साल के अन्दर २ मर्तबा सजा मिली हो। निवेदन करना यह है कि सन् १९४३ से १९५३ के अर्से में यदि किसी व्यक्ति को सजा मिल गई हो तो वह अभ्यस्त अपराधी घोषित कर दिया जायगा। १९४३ में किसी प्रकार से शेड्यूल में दिये गये हुए अपराधों में से कोई एक अपराध उससे होने के कारण उसको एक महीने की सजा मिली। सन् १९४३ में अपराध किया और उस अपराध के कारण से उसको उस ही वर्ष में सजा मिली। वह सजा सन् १९४३ में एक महीन की मिल गई और फिर सन् १९४३ में ही उसको ३०७ के मातहत सजा मिली। जिस वक्त वह पहली बार पकड़ा गया तो उसको एक माह की सजा मिली थी। वह जेल में चला गया। पीछे से उसके घर में अव्यवस्था होने के कारण उसकी स्त्री का चरित्र बिगड़ गया। अपनी स्त्री का चरित्र सुधारने के लिए काफी प्रयत्न किया, लेकिन वह कर नहीं सका। उसका कई लोगों से नाजायज संबंध भी रहा। वह चीज उसकी इज्जत के लिये अच्छी नहीं थी। उसने उसको बरदाश्त नहीं किया। उन लोगों को भी काफी मना किया, लेकिन वह नहीं माने। नहीं मानने के कारण उसने उन पर अपने फरसे से वार किया; वह बच गया। उसने वार इसलिए किया कि आयन्दा वह ऐसी हरकतें नहीं करे। उन्होंने पुलिस में इसकी रिपोर्ट कर दी। पुलिस ने दफा ३०७ में चालान कर दिया और उसको उसी साल एक महीने की सजा मिली। उसको २ सजा मिली एक गैरसिक्का रखने के लिए और दूसरी सजा अपनी इज्जत बचाने के लिए। अब सन् ४३ के बाद उसके चालचलन में किसी प्रकार की कोई शिकायत करने की गुंजाइश किसी शख्स के सामने नहीं आई। उसको सरकार अच्छा समझती है, पब्लिक अच्छा समझती है, इलेक्शन में वह खड़ा हो सकता है, और फिर अब जो यह कानून बनाया जा रहा है उस कानून में वह अभ्यस्त अपराधी घोषित कर दिया गया तो, अध्यक्ष महोदय, इस सदनके माननीय सदस्य यदि इसपर थोड़ा बहुत विचार करके देखेंगे कि ऐसे शख्स का जिसका चालचलन निरन्तर १० साल से ठीक रहा हो, उस शख्स को थाने पर हाजरी देने के लिए पाबन्दी कर दी गई तो उस शख्स पर क्या बीतेगी? यदि माननीय सदस्य देखेंगे तो मालूम होगा कि इस बिल को प्रस्तुत करने में इस बात का कोई ध्यान नहीं दिया गया, और एक साल में २ बार सजा मिलने पर भी चाहे वह दस साल पूर्व हो किस तरह से वह शख्स अभ्यस्त अपराधी घोषित कर दिया जाना बताया गया है। किस तरह से आज वह शख्स जुर्म करने का आदी हो गया, इसका बिना विचार किए ऐसा बिल इन्ट्रोड्यूस कर दिया गया है। ऐसे लोगों को अभ्यस्त अपराधी घोषित

[श्री भैरोंसिह (दांतारामगढ)]

माननें के लिए सरकार को बहुत अधिक सतर्क होकर कानून बनाने की आवश्यकता है और मैं यह निवेदन करूंगा कि यदि फिर भी ऐसा कानून बनाना आवश्यक समझा जाता है तो "दो" की जगह "तीन" सजाओं से प्रयत्न काम ले यानी ३ वार सजा पाया हुआ शख्स यदि कोई हो तो उसको अभ्यस्त अपराधी घोषित करें। इतना ही कह कर में अपना संशोधन विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं ।

श्री गोपीलाल यादव–माननीय अध्यक्ष,....

श्री अध्यक्ष–ऑर्डर, ऑर्डर ! अभी श्री हरिकृष्ण व्यास बोलेंगे ।

श्री हरिकृष्ण व्यास–माननीय अध्यक्ष, यही एमेंडमेंट मेरा है ।

श्री अध्यक्ष–If you want to speak you can speak, otherwise it is not necessary.

श्री हरिकृष्ण व्यास–I only want to read the amendment and sit down.

"क्लॉज २ के सब-क्लॉज (१) (ए) में जहां पहले 'थ्राइस' शब्द था उसको बदल कर सिलेक्ट कमेटी ने 'ट्वाइस' कर दिया है। मेरा यह निवेदन है कि उसको 'थ्राइस, ही रखा जाय 'ट्वाइस' न किया जाय । इस सिलसिले में और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं समझता ।

श्री गोपीलाल यादव–माननीय अध्यक्ष, क्लॉज २ जैसी कि इसमें दी हुई है उसको मैंने पढ़ा और उसमें २ चीजें खास तौर से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं । एक यह कि "Within a period of 10 years immediately preceding the 15th day of September, 1952" मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि कहां से, कौनसी तारीख को लेकर १० साल का टाइम रखा । मैं तो यह समझता हूं कि यह १० साल का टाइम ......

श्री अध्यक्ष– If the Hon'ble member wants to speak on the amendment he can speak. The Hon'ble Member will speak only on the amendment and if he wants to move a separate amendment he ought to have done it within the time. He can only speak on the purview of the amendment which has been moved by the mover.

श्री गोपीलाल यादव–माननीय अध्यक्ष, क्लॉज के ऊपर ही बोलने का अधिकार है क्योंकि मेरी सारी बात क्लॉज 'ए' एज ए होल (Clause (a) as a whole) पर आरोपित हो सकती है । हमारा अधिकार एमेंन्डमेन्ट पर ही बोलने का है । एमेन्डमेन्ट उन्होंने रखा । उस एमेन्डमेन्ट के बजाय में सारी क्लोज पर बोलना चाहता हूं ।.........

Page No.52

माननीय अध्यक्ष–Yes, that you are entitled; but you are not entitled to put a subsequent amendment now.

श्री गोदीलाल यादव–I wish to suggest something and I hope the Leader of the House may accept it.

(विराम)

सब से पहली चीज तो यह है कि मुझे १० साल का पीरियड बड़ा खटकता है, क्योंकि प्रिइन्डिपेन्डेन्स के अन्दर अनेकों गलत तरीकों से सजा दे दी जाती थीं । उस समय न्याय नहीं था, इन्साफ नहीं था । इसलिये मेरा यह सुझाव है कि वह "Immediately after the 26th January, 1950" कर दिया जाय । यानी २६ जनवरी, १९५०, के बाद अगर किसी आदमी को एक ऑफेन्स में दो दफा सजा हो गई हो तो उसको हेबिचुअल ऑफेन्डर (अभ्यस्त अपराधी) डिक्लेयर (घोषित) कर दिया जाय, पिछले टाइम को तो जाने दें । Forget the past (पुरानी बात भूल जाइये) । क्योंकि वह बड़ा खराब जमाना था । इसलिये में यह उम्मीद करता हूं कि मेरे मित्र इस सुझाव को मानेंगे ।

दूसरी चीज इसमें बड़ी बेजा है, "Not less than twice of any of the offences" यानी शिड्यूल में दिये हुए ओफेन्सेज में से एक ओफेन्स को दो दफा करे तो वह हेबिचुअल ओफेन्डर हो जायगा, लेकिन १० साल में जो सब ओफेन्सेज हैं वे एक एक दफा कर लिये तो वह हेबिचुअल ऑफेन्डर नहीं होगा । १० ओफेन्सेज को एक एक दफा करे तो उसने १० ऑफन्सेज कर लिये, लेकिन वह इससे हेबिचुअल आफेन्डर्स की तारीफ में नहीं आता है । लेकिन एक को २ दफा कर लिया तो वह हेबिचुअल ओफेन्डर हो जायगा । यह धारा बड़े गलत ढंग से बनाई गई है । १० साल में तो यह लगा दिया जाय कि २६ जनवरी, १९५० के बाद जिसको दो दफा सजा हुई हो, और ट्वाइस आफ एनी आफ दी आफेन्सेंज के बजाय "Twice of any of the offences or more than one" कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–Now remains the other two amendments by Shri Bhairon Singh and Shri H.K. Vyas.

श्री हरिदत्त–On a point of difference, Sir, it has been provided in rule 137 that, "When a motion that a bill be taken into consideration has been carried, any member may propose an amendment to the bill." I mean to say, Sir, that the amendments can be proposed only when the motion for consideration of the bill has been carried and as the motion has been carried on this day, at this very time, we should be given sufficient time to put our amendments so that the notice required by rule 137 can be given some weight. If the bill is taken clause by clause today we shall be debarred from suggesting any amendment about which we have right to suggest. I, therefore, request you that this reading........

श्री अध्यक्ष–You will find the solution. Come to Rule 139.

(सदस्य चुपचाप पढ़ते हैं)

श्री हरिदत्त–It clearly shows that the consideration of the clause should commence after the motion is carried and the time of 2 days is given. It never means that we should propose before the motion is carried.

श्री अध्यक्ष–The rule is very clear.

श्री हरिदत्त–I read again. (पुनः पढ़ना) Reading of the clause should be put off for 2 days so that we may begin amendments, Sir, otherwise clause 138....

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)–Mr. Speaker, Sir, may I know the number of the Rule?

श्री हरिदत्त–Rule 139, read with clause..........

श्री एच. के. व्यास–On this question, Sir, I draw attention to Rule 139. I don't entirely agree with Shri Hari Dutt but there is no bar........

श्री अध्यक्ष–You agree or not?

श्री एच. के. व्यास–I don't entirely agree. I only submit there is no bar to moving of amendment *ab initio*. If a member objects to it then the matter becomes one for the consideration of the Hon'ble Speaker. Till now no member has objected to the moving of any particular amendment. So, unless a particular member objects I Think even without notice an amendment can be discussed. That is rule 139. My submission is over the principle and it is this only.

श्री गोपीलाल यादव–माननीय अध्यक्ष, मेरे माननीय मित्र, भाई हरिदत्तजी ने, जो इन्टरप्रिटेशन रूल नं० १३६ का किया है वह बिल्कुल विचारणीय है, और सही है। यह ठीक है कि दो दिन पहले अगर एमेन्डमेन्ट हमारा नहीं आता है,कन्सीडरेशन के बाद तो उस पर विचार नहीं हो सकता है। लेकिन रीजनेबल इन्टरप्रिटेशन में २ दिन का समय कहां से शुरू होगा, इसको मूव करने के बाद दो दिन की जरूरत है, और उन दो दिनों के अन्दर अगर माननीय सदस्य ठीक टाइम का नोटिस नहीं देते हैं और बाद में पेश करें तो he will not be allowed.

लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आज कन्सीडरेशन के लिए मूव करें और आज से दो दिन पहले से नोटिस देना चाहिये था, क्योंकि ऊपर के सेक्शन में यह क्लियर है कि जब कन्सीडिरेशन के लिये लिया जाय तो एमेन्डमेन्ट मूव करें। उसका लिटरल सेंस (literal sence) हो जाता है, एमेन्डमेन्ट को पहले भेज दें। जिस वक्त मूव कर दिया जायगा तो उसके बाद एमेन्डमेन्ट करने का अधिकार, चाहे यहां पर पेश करदें या दो दिन के टाइम में भेज दें, उनका है। इसलिये आप इस पर विचार कीजिये। मूव करने से पहले एमेन्डमेंन्ट भेजने का कोई कायदा इन रूल्स के अन्दर नहीं है।

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)–Nothing very particular, Sir, if the Hon'ble member moves any amendment now I will not raise any objection about notice.

श्री हरिदत्त–My interpretation is accepted. I will request that this bill may be adjourned for 4 days so that we may put in our amendments.

श्री टीकाराम पालीवाल–That is not necessary. The bill has been before the House for a long time and they can move amendments even now. I will not object.

श्री जसवन्तसिंह–"*Section* 137" This gives us permission to give notice of amendments and why the provision should not be fulfilled ? According to that we are entitled to have 2 clear days.

श्री टीकाराम पालीवाल–Not at all. (पढना)

श्री जसवन्तसिंह–But this has to be read with rule 139........

श्री टीकाराम पालीवाल–I admit that members are entitled to two day's notice. I do not take that objection. There is some misunderstanding.

This bill is not an ordinary bill which has come to the House. This is a bill which was handed over to Select Committee, and the Select Committee had given its report to the House. So the procedure which my friend suggests is in regard to the bill which has not gone to the Select Committee. They have ample time to move the amendment but as my colleague said we have made it out. Inspite of that we have no objection if any amendment comes even at this stage and the Speaker has the authority to say "Yes" or "No". This is your sole authority, Sir. But it must not be said that previous notice is not there. My friends should read clauses of Select Committee and also understand that these clauses were there before they were passed.

श्री जसवन्तसिंह–Sir, I put my amendment just now.

श्री अध्यक्ष–Order, Order.

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)–If the Chair allows, we have no Objection.

श्री अध्यक्ष–Order, Order.

Page No.55

[श्री अध्यक्ष]

जो आपत्ति उठाई गई है इसके लिये मैं एक बात जो आवश्यक है उसको स्पष्ट कर दूं तो ठीक होगा। आपका यह कहना कि आपको हर बिल में एमेन्डमेंट पेश करने का अधिकार है; यह ठीक है। मगर सदन की कार्यवाही सुविधा-पूर्वक और सुचारू-रूप से चले इसलिये पहले ही से दो-तीन या तीन-चार दिन पहले कौन कौन से बिल सदन के सामने विचारार्थ आवेंगे उन्हें हम सदन के सभी सदस्यों के पास भेज देते हैं; ताकि वे अपने उन बिलों देख लें और उन पर उनके जो विचार हों, वे किस बिल के कौन से क्लॉज में क्या संशोधन चाहते हैं, दो रोज पहले हमारे पास भेज दें; ताकि उनके एमेण्डमेंटों को दूसरे सभी सदस्यों के पास भेजने की व्यवस्था की जा सके। अब भी वे ले लिये आवें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मगर शर्त यह है कि किसी भी सदस्य को उस एमेण्डमेंट पर ऐतराज नहीं होना चाहिये। क्योंकि अभी जो आप एमेण्डमेंट पेश करते हैं, उसे कब साइक्लोस्टाइल करा कर कब १६० सदस्यों के पास भेजा जा सकता है ! इसमें थोडी सी असुविधा होती है और आपत्ति करने वालों को भी अधिकार है कि ये आपत्ति कर सकते हैं।

मुझे इस विषय पर कुछ नहीं कहना है कि आया आप अब भी कोई एमेन्डमेन्ट पेश कर सकते हैं या नहीं; क्योंकि यह तो सब बातें रूल्स में हैं। और रूल्स में दो दिन पहले एमेन्डमेन्ट भेजने का प्रोविजन इसीलिये रखा गया कि आपके एमेन्डमेन्ट सभी सदस्यों के पास भेजे जा सकें। अभी आपने रूल १३७ का हवाला दिया। ठीक है जो कुछ इस रूल की मंशा है वह आप लोगों के सामने है; लेकिन रूल १३८ की मंशा यह है कि दो रोज पहले एमेन्डमेन्ट आ जाने चाहिये और उसके बाद हर एक व्यक्ति एमेन्डमेन्ट पर ऐतराज उठा सकता है और यह स्पीकर के डिस्क्रिशन पर होगा कि वह उस एमेन्डमेंट को मूव करने की आज्ञा प्रदान करे। जब कोई सदस्य इस प्रकार एमेन्डमेंट पर आपत्ति करेगा और कहेगा कि रूल १३८ एनफोर्स होती है उस समय मेरी बड़ी अनप्लेजेंट ड्यूटी होगी; उसपर निर्णय देने की। इसलिये जितने भी क्लॉजेज पर एमेन्डमेंटस हों मूवर १-२ मूल क्लॉजेज पर बोल लें और उसके बाद जैसा भी प्रोसीजर होगा उसके अनुसार आप सब लोग बोलें।

(विराम)

मि० एच. के. व्यास, इस पर आपका दूसरा एमेन्डमेंट भी है।

श्री एच. के. व्यास—इस क्लॉज पर मेरा दूसरा एमेन्डमेंट इस प्रकार है :

"In sub-clause (*a*) last line after the semi-colon and before the word 'and', insert the following :

> "or any mill or factory owner who has locked down his mill or factory thrice or any Jagirdar who has resorted to ejectment of his tenant or tenants on three occasions during the said period".

हैबिच्युअल ओफेन्डर्स बिल की शिड्यूल में कुछ जुर्म रखे गये हैं। उसकी परिभाषा में इतना लिखा गया है कि जो आदमी शिडयूल में लिखे माफिक जुर्म दो तीन बार करेगा वह हैबिच्युअल ओफेन्डर गिना जाएगा लेकिन कुछ ऐसे भी जुर्म हैं और मेरे मित्र इस बिल के मूवर जब बिल पर बोल रहे थे उस समय फरमाया था कि क्रिमिनोलोजी के मातहत यह ठीक नहीं है, लेकिन सोशियोलोजी के मातहत यह ठीक है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि वह कोनसी सोशियोलोजी है जिसके अनुसार यह ठीक होगा। कई बार सदन ने ऐसे मौके देखे हैं जब कई जगह लोक-अप हुए और उस समय आपने अपनी असमर्थता यह कह कर

[श्री एच. के. व्यास]

प्रकट की कि यह कार्य तो आवश्यक है, मगर सैकड़ों आदमियों की जान को खतरे में डालने वाला है; लेकिन हम क्या करें, हमारे पास कोई कानून नहीं है। इसलिये मेरी मंशा यह है कि यदि कोई मिल मालिक तीन बार से ज्यादा अपनी मिल को लॉक-अप करे और वहां के मजदूरों को मुसीबत में डाले तो सरकार उसके खिलाफ भी कार्यवाही करे अथवा इसी प्रकार कोई जागीरदार अपने टीनेन्ट को तीन बार से ज्यादा इजेक्ट करे..

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—एक टीनेन्ट को ३ बार या ३ टीनेन्ट को.......

श्री एच० के० व्यास—ओन थ्री ओकेजन्स उसी टीनेन्ट को......

श्री टीकाराम पालीवाल—एक ही ओकेजन पर १०–२० का

श्री एच. के. व्यास—मैं मेरे माननीय मित्र के मेरे अमेन्डमेंट में अमेन्डमेन्ट को मंजूर करता हूं।

(विराम)

तो मेरे अमेंडमेंट की मंशा यह है कि सोशियोलोजी के आधार पर इस बात का नाप तोल हो कि एक तरफ ऐसे लोग जो अपनी एक कलम के जरियें सैकड़ों आदमियों की रोजी को खतरे में डालता है और दूसरे लोग जो व्यक्तिगत तौर पर हानि करते हैं; उनका दूसरा नाप तोल है। क्रिमिनोलोजी के आधार पर नहीं तो कम से कम सोशियोलोजी के आधार पर तो इस सिद्धान्त को स्वीकार करेंगे। इन शब्दों के साथ में अपने अमेन्डमेंट को मूव करता हूं।

श्री भैरूंसिंह (दाता रामगढ़)—माननीय अध्यक्ष, मेरा अमेन्डमेन्ट इस प्रकार है:—

Add the following after the word 'and' occuring in the last line of part (a) :—
"the last conviction should fall within the period of three years preceding the year 1953".

माननीय अध्यक्ष जिस समय यह बिल प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया था उस समय ऐसी आशा की गई थी कि प्रवर समिति में इस पर गंभीरता से विचार होगा पर उस प्रवर समिति के कुछ सदस्यों से मालूम हुआ है कि उस प्रवर समिति की सारी कार्यवाहियां हवाई जहाज की तरह हुई हैं और इस पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं हुआ है।

यदि इस पर कुछ भी गंभीरतापूर्वक विचार करते तो इस बात पर जरूर विचार करते कि एक शख्स दस साल पहले एक साल में दो-तीन दफा सजायाब हो गया था उसको इस कानून के मातेहत हेबिच्युअल ओफेन्डर करार देने का तय नहीं करते। मिसाल के तौर पर सन १९४३ में यदि एक शख्स एक दो बार के लिए भी सजा पा चुका है और उसको हम दस साल बाद हेबिच्युअल ओफेन्डर बनाते हैं तो इससे जनतन्त्रवाद की हत्या होती है। वह किस तरह समझ सकेगा कि आज भारत में भारतीय राज्य है। मैं माननीय मंत्री से जिन्होंने इस बिल को सदन के समक्ष विचारार्थ रखा है, निवेदन करूंगा कि वे ठंडे दिल से सोचें कि दस साल पहले एक व्यक्ति सजायाब हुआ तो उसको १० साल बाद हेबिच्युअल ओफेन्डर करार देना

[श्री भैरूंसिह (दांता रामगढ़)]

कहां तक ठीक है ? यहां पर फन्डामेंटल राइट्स का कोई विचार नहीं रखा गया है । १० साल पहले उसने कोई अपराध किया है तो मुमकिन है कि उसने अपनी आदत को अब सुधार लिया हो। १० साल पहले जो अपराध किया है उसके आधार पर उसे हेबिच्युअल ओफेन्डर करार देकर आयंदा ऐसे क्राइम्स करने को प्रोत्साहित करना है और यदि ऐसी ही इस बिल की मंशा है तो मुझे कोई एतराज इस बिल से नहीं है। पर मैं समझता हूं कि क्राइम्स रोकने की इसकी मंशा है; अत: मैं यह अर्ज करूंगा कि इस अमेंडमेन्ट को स्वीकार कर लिया जाय ।

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)–सब अमेंडमेंन्टस को साथ लेना और कंसीडर करना ठीक नहीं होगा, अत: एक एक लिया जाय ताकि उत्तर देने में भी सहूलियत हो ।

श्री अध्यक्ष–(श्री मानसिंह खड़े हुए) You want to move some amendment?

श्री मानसिंह–Perhaps, because I was under the impression that Rule 137 applies when the motion is carried.

श्री अध्यक्ष–Bring out your amendment.

श्री मानसिंह (जमवा रामगढ)–Sir, the only thing is that you have not been clear always as to the procedure of the House. Rule 137 clearly states, "when a motion that a bill be taken into consideration has been carried, any member may propose an amendment to the Bill". Today you have used discretionary power and permitted to bring up amendment at this stage. Here again, Sir, if we had been given 2 days' notice, our amendment would have been there in the House.

श्री अध्यक्ष–No, there are no discretionary powers with me, they are with the House ; they are with the members of this House. They have every right to object at this stage and if they object then only it will be my discretion to allow.

(विराम)

I think you were not here when I gave my ruling. It had been pointed out to the Hon'ble Members of the House that the procedure of giving notice of two clear days, previous to the Meeting is there and you must not try to over ride the procedure of the House.

श्री हरिदत्त–The motion that is to be considered has been moved today and we must be given 2 days clear notice so that our amendments may not have to be considered only with your discretionary power. May I put something.

Page No.58

श्री अध्यक्ष–If you want to move any amendment? you may.

श्री हरिदत्त–I will like to clear Rule 137.

श्री अध्यक्ष–It will be clear when you put the amendment. I want that you put the amendment, if you want to put it and any member can put it.

श्री गोपीलाल यादव–I move my amendment : "within a period of ten years immediately preceding the 15th day of September, 1952, or within a like continuous period falling after, or partly before and partly after the said day" should be deleted, and in its place following words be added............"

श्री अध्यक्ष–Even at this stage nothing is in writing. Even now if this does not come in writing I am not prepared to have it for consideration.

श्री गोपीलल यादव–I am then sending it.

श्री टीकाराम पालीवाल–May we proceed with the amendments that are before the House, Sir.

श्री मानसिंह–I am moving an amendment.

श्री अध्यक्ष–Is it a notice to amendment now?

(विराम)

If you want to give an amendment only for making speech, then I can permit you without that.

श्री मानसिंह–That is a very important amendment which I want to bring.

श्री टीकाराम पालीवाल–माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल पर दो-तीन अमेन्डमेन्ट्स शुरू में आये; जिनमें से पहला श्री व्यास का है" थ्राइस इन प्लेस आफ ट्वाइस"। ओरीजिनल ड्राफ्ट म थ्राइस रखा। काफी वाद-विवाद के बाद यह निश्चित किया गया। "दो दफा" आमतौर से रखना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में अपने अमेन्डमेन्ट रखते हुए श्री एच.के. व्यास न कुछ और नये अमेन्डमेन्ट पेश किये जिनमें यह कहा कि तीन बार यदि कोई मिल मालिक लोक आउट करता है तो उसको हेबिचुअल ओफेन्डर में शामिल करना चाहिये और यदि कोई जागीरदार तीन बार इजेक्टमन्ट करवाता है तो उसे भी ओफेन्डरर्स में शामिल करना चाहिये। यदि वे साथ में यह भी कहते कि तीन बार जो आदमी गलत तरीके से स्ट्राइक कराने की कोशिश करता है तो उसे भी ओफेन्डर मानना चाहिये; तब शायद उनका कहना ठीक रहता

श्री मानसिंह (जमवा रामगढ)–इसके बारे में मैंने अपना अमेन्डमेन्ट (संशोधन) दिया है ।

श्री टीकाराम पालीवाल–यदि यह बात भी वे कहते तो समझता कि शायद वे गंभीरता से इस बिल पर विचार कर रहे हैं; परन्तु जिस प्रकार की बातें उन्होंने कहीं उनसे ऐसा समझ में आया है कि वे कुछ मनोविनोद करना चाहते हैं ।

एक बात और सोचने की जो है वह यह है कि इस बिल के द्वारा हम उन लोगों को अभ्यस्त अपराधी घोषित करेंगे जो बार बार जुर्म करते हैं । वर्तमान कानून और यह कानून भी, इन्डियन पीनल कोड में जो विशेष जुर्म हैं उन्हीं जुर्मों के अपराधियों को अभ्यस्त अपराधी घोषित करने का कानून होगा । मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी यदि श्री व्यास पीनल कोड को एमेन्ड करने की कोशिश करें और इसी प्रकार इजेक्ट करने वालों और लोक आउट करने वालों को ओफेन्स करनेवालों की श्रेणी में सम्मिलित करा सकें । इस चीज को यहां लाने से पहले पीनल कोड को एमेन्ड करना होगा और यदि अॉपोजीशन इसमें सहयोग दे तो उसे एमेन्ड करवाने का मैं विश्वास दिला सकता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि वे इसके लिए सीरियस नहीं थे । उनका जो मेन अमेन्डमेन्ट है वह क्राइम की संख्या के संबंध में है; याने दो दफा के बजाय तीन दफा करने का और उसके बारे में श्री भैरूसिंहजी ने अपने अमेन्डमेन्ट पर बोलते हुए प्रगट किया कि ट्वाइस की जगह थ्राइस रखी हो जाय तो ठीक रहेगा । ऐसी स्थिति में मुझे कोई आपत्ति नहीं है यदि क्राइम की संख्या में 'ट्वाइस' के बजाय 'थ्राइस' कर दिया जाय । आज अभ्यस्त अपराधियों के हिमायतियों की काफी संख्या इस हाउस में है (हर्ष–ध्वनि) और उनको सुविधा देने की कुछ सर्कल्स में ज्यादा इच्छा है तो मैं "ट्वाइस" के बजाय "थ्राइस" करने को तैयार हूं । श्री भैरूंसिहजी ने कोइन्स के बारे में बतलाया था कि पजेशन ऑफ काउन्टरफीट कोइन्स ऐसा ओफेन्स है जो इस शिडयूल में है । मैं इसको और दो तीन और मामूली अपराधों को ड्रोप करने को तैयार हूं (करतल ध्वनि) । सरकार और विरोधी पक्ष दो अलग अलग चीज मानते हैं; ऐसी बात नहीं है । हम ऐसा कानून बनाना चाहते हैं जिससे क्राइम्स की संख्या में कमी हो । इसी धारणा को लेकर चलें तो ज्यादा लाभ होगा । आगे हमें बिजनेस–टाइप बनकर चलना पड़ेगा ।

श्री भैरूंसिंह –मेरे दूसरे अमेन्डमेंट के बारे में कुछ नहीं कहा गया ।

श्री टीकाराम पालीवाल– मैं समझता हूं कि जब दो बार की जगह तीन बार की संख्या निर्धारित कर दी जाती है और काउन्टरफिट कोइन्स को शिड्यूल में से ड्रोप कर देने के बाद भी यदि इतना प्रेशर है तो ठीक है; मुझे आपत्ति नहीं । प्रत्येक काउन्टरफिट कोइन्स को शिड्यूल में से निकाल देने के बाद जिनको तीन बार सजा हो चुकी है उन अपराधियों को अभ्यस्त अपराधी करार देने में हमारी मंशा पूरी हो जाती है । मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य ज्यादा इन्सिस्ट नहीं करें ।

श्री हरिदत्त —Sir, my amendment is as under :—

"2 (1) (*a*) The words "Habitual offender" shall mean a person who has within a period of ten years falling after the date on which this Act comes into force, been convicted not less than thrice of any of the offences

[श्री हरिदत्त]

specified in the Schedule annexed to this Act for a term not less than 3 years on each occassion, and," may be substituted for Section 2 (i) (a).

By moving this motion, I mean Sir, that this Act by this particular section gives retrospective effect to an offence which was committed by a person when he did not know that he was to be counted as a habitual offender after 10 years. This shall be a sheer injustice to that man, Sir.

इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि जब हम कोई एक्ट बना रहे हैं तो उसके द्वारा हम पब्लिक को बता दें कि यदि अब विदिन टेन इयर्स (दस साल के अन्दर) आपने कोई ऐसे तीन जुर्म किये जो इस शिड्यूल में वर्णित हैं और तीन बार तीन साल की सजा हो गई तो आपको अभ्यस्त अपराधी करार दे दिया जायगा। इसलिये यह उसी डेट से फोर्स में आना चाहिये जिस डेट से कि एक्ट लागू होता है न कि पांच साल पहले से। पांच साल पीछे से तो किया जा सकता है। मैं कहूंगा कि १० साल आगे कर दिया जाय ताकि जुर्म करने से छूटने का मौका मिल जाय। और फिर तीन जुर्म ऐसे होने चाहियें जो प्रत्येक तीन साल से कम के न हों। ऐसा तीन अपराध मिलाकर ६ साल हो जाते हैं और फिर १० वें साल कोई अपराध करले तभी shall be taken into task, मैं आशा करता हूं मेरे एमेन्डमेन्ट पर गौर किया जायगा।

श्री मानसिंह (जमुवा रामगढ़)–Sir, my amendment to clause 2 is as follows:—

In sub-clause (a) last line after the semi colon and before the word 'and' insert the following :—

"or any communist leaders who unnecessarily foment labour trouble in the Mill or Factory areas during the said period thrice".

श्री हरकृष्ण व्यास—On a point of Order, Sir, I object to this amendment because no notice has been received. I want a ruling of the Chair why this amendment should not be ruled out. I object to this.

श्री मानसिंह (जमुवा रामगढ़)—मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय—I think your amendment is self explanatory.

श्री मानसिंह—दो एक बातों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं। स्वतंत्रता से पहले हमारे देश में अभ्यस्त अपराधियों की गिनती में वे लोग भी आते थे जो आजकल सरकार चला रहे हैं। आज भारतवर्ष में किसको अभ्यस्त अपराधी माना जाय; यह विचारणीय प्रश्न है। वे लोग जिन्हें रूस से प्रेरणा मिलती है और जो मजदूरों को भड़काकर हमारे देश की इकोनोमी को डिस्टर्ब करते हैं ऐसे आदमियों पर भी पाबन्दी लगानी चाहिये। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी ऐसे आदमियों को दौलतखाने में बन्द किया जाय।

श्री गोपीलाल यादव–माननीय अध्यक्ष, मेरा अमेन्डमेन्ट इस प्रकार है :—

"Within a period of 10 years immediately preceding the 15th day of September, 1952 or within a like continuous period falling after, or partly before and partly after, the said day"

[श्री गोपीलाल यादव]

इन शब्दों को इसमें से निकाल दिया जाय और इसकी एवज में "After the fifteenth of September, 1952." लगा दिया जाय। माननीय अध्यक्ष, अभी हाउस के डिप्टी लीडर ने बड़ी उदारता दिखलाई थी।

("अभी उप-नेता नहीं बने हैं" की सदन में आवाज तथा हंसी) खैर मैं मान लेता हूं कि वे अभी उप-नेता नहीं हुए हैं। (हंसी) उन्होंने अमेन्डमेन्ट स्वीकार करके इस उदारता का परिचय दिया है कि हमें को-ऑपरेशन से काम करना है। मैंने भी यही सोचा कि २६ जनवरी के बजाय १५ सितम्बर १९४७ रख दिया जाय। इससे मेरे मित्र हरिदत्तजी ने जो सुझाव दिया है उसका Via media हो जाता है। २६ जनवरी का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। इस आजादी के दिन की हिन्दुस्तान के इतिहास में काफी अहमियत है। इन पांच सालों में यदि कोई किसी व्यक्ति विशेष ने अपराध नहीं किया है तो उसको हेबिच्युअल ओफेन्डर्स में लेने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। अतः मेरा यह अमेन्डमेन्ट है कि १५ सितम्बर से.... ("१५ अगस्त है न कि १५ सितम्बर" आवाज) होना तो १५ अगस्त ही चाहिये, मुमकिन है कि अब इसमें दुरुस्ती न हो (हंसी) पांच साल का पीरियड भी काफी है। इन्साफ तो अदालत में हुआ ही करेगा। पहले सजा मिली होगी, या नहीं। मिली होगी, इसपर आपको विश्वास नहीं करना चाहिए।

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मुझे सचमुच बडा आश्चर्य हो रहा है और वह इसलिए हो रहा है कि कई माननीय सदस्य यह कानून अधिक से अधिक लिबरल बनाना चाहते हैं और वे ही लोग चाहते हैं जिन्होंने इस प्रकार के कानूनों के बारे में कभी कोई आवाज नहीं उठायी। मुझे मालूम है कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इस राजस्थान की प्रत्येक रियासत में था और वह इस प्रकार का ही नहीं था बल्कि इससे भी कहीं अधिक कड़ा था। उसमें कोई फर्क नहीं था कि किसी ने कोई जुर्म किया है या नहीं। केवल जाति विशेष पर प्रतिबन्ध लग जाते थे और इस प्रकार से कानून में लगे प्रतिबन्धों से लोगों को काफी दुख उठाना पडता था। उस कानून के विरुद्ध उस (विरोधी) पक्ष के सदस्यों ने कभी कोई ऐतराज नहीं किया। यदि उस कानून के विरुद्ध आवाज उठायी तो इस दल (ट्रेजरी बेन्च) के लोगों द्वारा ही उठाई गई।

श्री हरिकृष्ण व्यास—सबके सब लोग केवल उधर (ट्रेजरी बेन्च पर) ही नहीं बैठे हैं; इधर भी बैठे हैं।

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—तो मैं आपको यह बता रहा था कि उस कानून का इस दल द्वारा विरोध किया गया। यह जरूरी नहीं है कि किसी जाति में सब ही लोग अपराधी हों। उनमें अपराधी भी होते हैं और भले भी। इन (शिड्यूल्ड ट्राइब्स) जातियों के अलावा दूसरी जातियां भी हैं। उनमें भी सबके सब लोग अपराधी नहीं होते; भले लोग भी होते हैं। जातियों के आधार पर बने हुए कानूनों का हमेशा विरोध किया गया है और उनको खत्म कराया गया है। इसके साथ ही साथ शासन की जिम्मेदारी जिन लोगों के हाथ में है उनकी बड़ी जिम्मेदारी है। विरोधी दल के सदस्यों की भी, शासन ठीक चले, इसकी जिम्मेदारी है क्योंकि सारे सदन पर जनता की जिम्मेदारी है। शासन की जिम्मेदारी है कि जाति विशेष के आधार पर बने कानूनों को खत्म करे और समाज की सुरक्षा के लिये

[श्री टीकाराम पालीवाल]

आवश्यक कानून रखे। शासन की यह भी जिम्मेदारी है कि अपराधियों की संख्या न बढ़ने दी जाय और यदि संख्या बढ़ने लगे तो उसे काबू में किया जाय। इस बिल के संबन्ध में हमें सेन्टर से भी डाइरेक्शन्स मिले और हमने भी इसे जरूरी समझा। हमने बिल का ड्राफ्ट किया और उसको एग्जामिन करने के लिए एक प्रवर समिति भी नियुक्त की। इसमें सरकारी पक्ष के भी सदस्य थे और विरोधी पक्ष के सदस्य भी; जिनकी संख्या पांच या छः थी। एक माननीय सदस्य ऐसे भी थे जो इस जाति से सम्बन्ध रखते थे। उस प्रवर समिति में एक माननीय सदस्य ने नोट ऑफ डिसेन्ट भी दिया था जो मेरे पास है और जिसे मैं आपके समक्ष पढ़कर सुना सकता हूं।

श्री मानसिंह—अगर यह नोट ऑफ डिसेन्ट पढ़कर सुनाया जाता है तो अध्यक्ष महोदय, मुझे भी इसको एक्सप्लेन करने का मौका दिया जाय; ताकि इसके बारे का सारा इतिहास रख सकूं।

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—अच्छा मैं नहीं सुनाऊंगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—उसमें क्या ऐसी मिस्ट्री थी ?

श्री टीकाराम पालीवाल—मैं उस नोट ऑफ डिसेन्ट को इसलिए नहीं सुनाना चाहता हूं कि उससे वह नोट ऑफ डिसेन्ट बदल जायगा; किन्तु इसलिए कि इसमें समय काफी हो जायगा और समय के पूर्व यह समाप्त नहीं होगा। तो मैं आपको कह रहा था कि प्रवर समिति में एक माननीय सदस्य ने नोट ऑफ डिसेन्ट दिया और उस समिति में विरोधीपक्ष की ओर से पांच छः सदस्य थे। एक माननीय सदस्य तो उस जाति से सम्बन्ध रखते थे; जिस जाति पर कि शिड्यूल ट्राइब्स एक्ट लागू था। लेकिन उन्होंने, पिछले तीन साल लिये जाने चाहिए अथवा पांच साल या दस साल लिये जाने चाहिये इस प्रकार का कोई विरोध प्रगट नहीं किया था। तो एक तरफ तो उस जाति से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्ति को इस विषय में कोई ऐतराज नहीं है और दूसरी ओर अन्य सदस्य इसको ज्यादा से ज्यादा लिबरल बनाना चाहते हैं। मुझे इसमें आश्चर्य होता है।

श्री हिम्मतसिंह—जिस सज्जन के लिये रेफरेन्स दिया गया है वे इधर (विरोधी) के पक्ष के नहीं होकर उधर (सरकारी) के पक्ष के ही हैं।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, मुझे उसी जाति के बहुत से आदमी मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस बेन्चेज तो हमारी जाति के लिये नहीं बोल सकेंगी। इस वजह से आपको जरूर बोलना है।

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, जैसा कहा जा रहा है वैसी बात नहीं है। मुझे भविष्य के बारे में चिन्ता होती है, मुझे आशंका होती है। जिन लोगों पर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू था उनके विरोध के बदले, विरोध आता है दूसरे लोगों से; जो यह समझते हैं कि दूसरी जातियों पर भी यह एक्ट लागू होगा, जिनको खुली छूट है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि हम इस बिल को जाति के आधार पर नहीं रख रहे हैं; बल्कि जुर्म करने वाले के आधार पर ही इसको रख रहे

[श्री टीकाराम पालीवाल]

है और वह भी बिना किसी भेदभाव के। अतः मुझे आश्चर्य होता है कि इस बिल को इतना क्यों लिबरल बनाया जा रहा है ? (हंसी) इस बिल के रखे जाने पर माननीय सदस्यों को यह शंका हो रही है कि कहीं इधर के लोगों पर तो यह लागू नहीं हो जायगा, कहीं उधर के लोगों पर तो लागू नहीं हो जायगा और कहीं क्या और कहीं क्या ? इस प्रकार की आशंकाओं को छोड़कर, कि इस जाति पर लागू होगा, या उस जाति पर लागू होगा इस बिल की भावना को अवश्य समझना चाहिये था और यदि इसको अच्छी तरह से समझा जाता कि जो अपराध करेगा उसी पर यह एक्ट लागू होगा चाहे वह फिर किसी भी जाति का क्यों न हो। तो इस प्रकार लिबरल बनाने की कोशिश नहीं की जाती। मुझे आश्चर्य होता है कि क्यों इसको इतना लिबरल बनाने की कोशिश की जा रही है ? पांच साल, तीन साल और दस साल यदि जो बातें इसमें रखाई जाने की कोशिश की जा रही है उससे पता चलता है कि माननीय सदस्यों को मालूम है कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको तीन साल से बराबर खुली छुट्टी रही हो। इसलिये हाउस से मैं निवेदन करूंगा कि इस वक्त जो रखे गये दूसरे अमेण्डमेन्ट्स को अस्वीकार कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—Except one objection, to the motion of amendment of Shri Man Singh of Mahar, I think there is no objection to the other amendments being moved at a later stage under Rule 139. So the other objection prevails of Shri H.K. Vyas and I cannot allow that motion. Now we consider the amendments one by one, and (facing Shri Tika Ram Paliwal) which amendments you are going to accept ?

श्री टीकाराम पालीवाल—Only this one, No. 17, insertion of "thrice" in place of "twice". शिड्यूल के बारे में......

श्री हिम्मतसिंह—शिड्यूल बाद में ले लीजिये।

श्री टीकाराम पालीवाल—हां ठीक है।

श्री अध्यक्ष—एमेन्डमेन्ट नम्बर १७ जो इस प्रकार है—

"In sub-clause (a) fifth line, substitute "thrice" in place of "twice"
क्या यह संशोधन स्वीकार है ?

(स्वीकृत)

Now comes amendment No. 18.

श्री खेतसिंह—What about amendment No. 16.

श्री अध्यक्ष—No. 16 is regarding clause 1 and will come at the end, according **to rules.**

(विराम)

So the question is that amendment No. 18 be accepted.

Page No.64

विरोधी पक्ष--हां ।

श्री अध्यक्ष--जो विरोध में हों "ना" कहें ।

सरकारी उप--ना ।

श्री अध्यक्ष--ना पक्ष जीता ।

श्री जसवन्तसिंह--No, Sir.

श्री अध्यक्ष--Do you want Division.

श्री जसवन्तसिंह--Yes, Sir. We want Division.

श्री एच. के. व्यास--I do not want to press my amendment No. 19.

श्री अध्यक्ष--All right.

There are two amendments before the House and if the House wants we can have a division after that.

श्री जसवन्तसिंह-How can they all come together? All the three are different.

श्री मानसिंह--(जमुवा रामगढ़)

(श्री एच.के.व्यास के संशोधन के लिये) सदन की आज्ञा के बिना कैसे विड्रा कर सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष--That stage will come afterwards.

(विराम)

The question is that amendment No. 18 be accepted.

(इसके पश्चात् विभाजन हुआ)

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री अध्यक्ष--Ayes 53 and Noes 67. The motion fails.

श्री अध्यक्ष -Now the Question is that amendment No. 19 on clause 2 of Shri H.K. Vyas be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment is lost.

श्री जसवन्तसिंह–(घड़ी में छै बजने के कारण) I do not mind staying besides the scheduled time. But I am simply making a suggestion to the Hon'ble Speaker that there being an at-home at the Chief Minister's house, in the after-noon, the remaining business may be held over till tomorrow.

श्री टीकाराम पालीवाल–We can go on with the business. Let it be passed.

श्री अध्यक्ष–(विरोधी दल के नेता को संबोधित करते हुए) Are we proceeding in a coperative mood ?

श्री जसवन्तसिंह–This is a very difficult question to answer.

श्री कानसिंह–We should not be hasty in legislation.

श्री अध्यक्ष–Now there are two amendments and I put both of these amendments together to vote. One is from Shri Gopi Lal Yadav and the other from Shri Haridutta.

(विराम)

The question is that the amendments be accepted.

(विराम)

श्री अध्यक्ष–(श्री गोपीलाल तथा श्री हरिदत्त को सम्बोधित करते हुए) Will you like to have my discretion or you want a division?

श्री हरिदत्त––Because I feel that mostly the members of the Opposition will support my amendment.

श्री टीकाराम पालीवाल––In that case, Sir, I have no objection if we postpone the further proceedings.

श्री अध्यक्ष–But the question has been put and I will have to give my decision before the House rises.

श्री जसवन्त सिंह–The Hon'ble Speaker may have his discretion, Sir.

श्री अध्यक्ष–So the question is that the amendments proposed by Shri Gopilal and Shri Hari Dutta be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendments are lost.

Page No.66

[श्री अध्यक्ष]

So we come to the main clause. The question is that clause 2, as amended, because amendment No. 17 has been accepted, stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 2 as amended is added to the Bill.

(विराम)

We now adjourn for tomorrow.

(सदन की कार्यवाही ६ बज कर १५ मिनट सायं, दिनांक १८ जनवरी, १९५३ को २ बजे मध्यान्होत्तर तक के लिए स्थगित हुई)

सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक–१७ जनवरी, १९५३

मनसाराम पुरोहित,
सचिव,
राजस्थान विधान सभा, जयपुर।

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या १२१ का उत्तर देखिये)

(अ) राजस्थान में निम्नलिखित जातियों को शैक्षणिक उन्नति के लिये पिछड़ी जातियों में लिया गया है। उनकी जन संख्या जातिवार उपलब्ध नहीं है। एकत्रित की जा सकती है।

१.	बागड़ी।	२१.	गडेरिया।	४१.	मीरासी।
२.	बैरिया।	२२.	हेला।	४२.	मेगवाल।
३.	बलाई।	२३.	जोगी।	४३.	मीरात।
४.	बनजारे।	२४.	जाटव (यादव)।	४४.	महा ब्राह्मण।
५.	बोला।	२५.	जुलाहा।	४५.	मोगिया।
६.	बावरी।	२६.	कलाल।	४६.	नाई।
७.	बादेरा।	२७.	कंजर।	४७.	नाइक।
८.	बागरिया।	२८.	कुम्हार।	४८.	न्यारिया।
९.	चीटा।	२९.	कहार।	४९.	वेलदार।
१०.	चामटा।	३०.	खटीक।	५०.	पटवा।
११.	चान्डाल।	३१.	कोली।	५१.	पीनजारा।
१२.	धोबी।	३२.	खरोल।	५२.	रावत।
१३.	धोली।	३३.	खाटी।	५३.	रहवारी।
१४.	घंडी।	३४.	कानवी।	५४.	राय।
१५.	धानक।	३५.	कांजी।	५५.	साद।
१६.	धनची।	३६.	लखेरा।	५६.	सांसी।
१७.	धनाचा।	३७.	लुहार।	५७.	सतियाया (सिधी)।
१८.	गवारिया।	३८.	मेर।	५८.	सिकलीगर।
१९.	गरासिया।	३९.	मेराठ।	५९.	सिरकीवाला।
२०.	गाडीक लोहार।	४०.	मेना।	६०.	ठठेरा।

(ब) पिछड़ी जाति विभाग सन् १९५१ में सरकार ने स्थगित किया था इसलिये सन् १९५१-५२ व १९५२-५३ में दी गई सहायता का विवरण ही नीचे दिया जाता है। केवल पिछड़ी हुई जातियों को दी गई सहायता की रकम का विवरण उपलब्ध नहीं है। क्योंकि शिड्यूल्ड कास्ट, शैडयूल्ड ट्राइब्स व पिछड़ी जातियों को दी गई। सहायता के पृथक पृथक आंकड़े नहीं रक्खे जाते। तीनों उत्थान पर सामूहिक खर्चा सहायतार्थ जो हुआ बंद किया जाता है।

राजस्थान राज्य कोष से :

१.	संस्थाओं की सहायता	११३९२५	११	०
२.	छात्रवृत्तियां	६९०८०	२	६

३.	दवाईयां	४००	०	०
४.	आग व बाढ़ में सहायता	६६५	०	०
५.	पानी पीने के कुओं के लिये सहायता	८३५०	०	०
६	शिक्षा प्राथमिक व प्रौढ रात्रि स्कूल	१५९१२	११	६
७.	कृषि के कूओं के लिये सहायता	२१६७५०	०	०
८	छात्रावासों का खर्च	५०५८२	४	३
	कुल जोड़	४७५३६६	४	३

भारत सरकार से प्राप्त सहायता से खर्च

९.	शैक्षणिक उन्नति	१४३५३	१४	९
१०.	आर्थिक विकास	४५०००	०	०
११.	प्रॉडक्टिव योजनाएं	२८६४१८	८	९
१२.	सड़कों का निर्माण	४६८६	९	६
		३५०४५९	१	०
	कुल जोड़	८२५८२५	५	३

नोटः—जिलेवार किस किसको कितनी कितनी सहायता दी गई इसका विवरण उपलब्ध नहीं है। क्योंकि सन् १९५१-५२ में पिछड़ी जाति विभाग के अंतर्गत डिवीजनों का कार्य आरम्भ नहीं हुआ था।

सन् १९५२-५३ में जिन कार्यों पर पिछड़ी जाति विभाग द्वारा खर्च किया जावेगा उसका विवरण इस प्रकार है।

सन् १९५२-५३ में विविध कार्यों में बैकवर्ड क्लासेज वेलफेयर विभाग द्वारा खर्च की जाने वाली रकम।

क्रम सं०	विवरण	डिविजन अनुसार खर्च					कुल जोड़
		उदयपुर	बीकानेर	जोधपुर	जयपुर	कोटा	
	(स्टेट बजट से)	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	
१.	पढ़ाई शिक्षा	१०८००			९००	१६४०	१३३४०
२.	ट्राइब्स सलाहकार समिति को सफर खर्च व दैनिक भत्ता	४०००					४०००
३.	छात्रावासों पर खर्च	५९२२५	१३७४८	१३७४९	१३७४९	१३७४९	११४२२०
४.	संस्थाओं को सहायता	१२८९००	६००		८०००	२५००	१४००००

५. छात्रवृत्तियां						
(अ) डिविजन अनुसार	२०७६४	३६६९	४९३६	२७४२६	३४०२	६०२००
(ब) जनरल टाइप	(यह खर्चा डिविजन अनुसार नहीं बताया जा सकता)					१४८००
६. दवाईयां	१००	१००	१००	१००	१००	५००
७. आग व बाढ़ में सहायता	५००	५००	५००	५००	५००	२५००
८. पानी पीने के कूओं के लिये सहायता	६००	६००	६००	६००	६००	३०००
९. कृषि के कुओं के लिये सहायता	२०००००					२०००००
जोड़	४२४८८९	१९२१७	१९८८८	५१२७५	२२४९१	५५२५६०

भारत सरकार से प्राप्त सहायता से खर्च

१०. शैक्षणिक उन्नति	१३४४६०					१३४४६०
११. आर्थिक विकास	४३०००					४३०००
१२. उपजाऊ योजनाएं	३२४५९०					३२४५९०
१३. सडकों का निर्माण	५००००					५००००
१४. प्रचार की वस्तुएं व दवाईयां वगैरह	१७९५०					१७९५०
१५. संस्थाओं को अतिरिक्त सहायता	१०००००					१०००००
जोड़	६७००००					६७००००
कुल जोड़	१०९४८८९	१९२१७	१९८८८	५१२७५	२२४९१	१३२२५६०

सन् १९५१ की जनगणना के अनुसार शिड्यूल्ड कास्ट व शिड्यूल्ड ट्राइब्स की जनसंख्या।

क्रम संख्या जिले का नाम	शिड्यूल्ड कास्ट की जन संख्या	शिड्यूल्ड ट्राइब्स की जन संख्या	जोड़
१. जयपुर	१९९५०४		१९९५०४
२. टोंक	६४४७६		६४४७६
३. सवाई माधोपुर	१२८५३७		१२८५३७

४.	भरतपुर	११९३६१		११९३६१
५.	अलवर	२२०२१७		२२०२१७
६.	झुंझुनू	७०४३५		७०४३५
७.	सीकर	६४४०७		६४४०७
८.	भीलवाड़ा	६१३९३		६१३९३
९.	बीकानेर	४१९१३		४१९१३
१०	चूरू	९१५८६		९१५८६
११.	गंगानगर	७९१६९		७९१६९
१२.	जोधपुर	१९३८६		१९३८६
१३.	बाड़मेर	१०३७५		१०३७५
१४.	जालोर	१७२४०		१७२४०
१५.	पाली	२४६२६		२४६२६
१६.	नागोर	३३६७८		३३६७८
१७.	जैसलमेर	४३५१		४३५१
१८.	उदयपुर	४६९८१		४६९८१
१९.	डूंगरपुर	९३१७	९४०३१	१०३३४८
२०.	बांसवाड़ा	९१२८	२१५६२४	२२४७५२
२१.	सिरोही	४३४५२		४३४५२
२२.	चित्तौड़गढ़	४९१४३	६६९३	५५८३६
२३.	कोटा	११२३३३		११२३३३
२४.	बूंदी	३२१८०		३२१८०
२५.	झालावाड़	४६६८६		४६६८६

परिशिष्ट २

(वह तारांकित प्रश्नोत्तर जो कि सम्बन्धित सदस्य के अनुपस्थित रहने के कारण सदन की मेज पर रखे गये)

प्रश्न संख्या १२८

श्री नारायण चतुर्वेदी :—क्या देवस्थान मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :—

(अ) चाकसू के एक मंदिर की मरम्मत के लिए वहां की जनता की कितनी दरख्वास्तें कब कब कलेक्टर कार्यालय में आई ?

(ब) कलेक्टर कार्यालय से इन कागजातों को राजस्व सचिव को भेजने में कितना समय लगा?

(स) अब इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

(ड) मन्दिर की मरम्मत की इजाजत मिलने में कितना समय लगने की सम्भावना है ?

उत्तर :—

(अ) मन्दिर की मरम्मत के विषय में कोई आवेदन-पत्र देवस्थान विभाग या जिलाध्यक्ष जयपुर के कार्यालय में अभी तक प्रस्तुत नहीं हुए हैं ।

(ब, स, द) उपरोक्त उत्तर को ध्यान में रखते हुए इन प्रश्नों के उत्तर की आवश्यकता नहीं रहती है ।

Page No.72

परिशिष्ट ३

राजस्थान अभ्यस्त अपराधी विधेयक, १६५२ के खण्ड २ पर श्री भैरोंसिंह (दांता रामगढ) के संशोधन संख्या १६ पर विभाजन

(कृपया पृष्ठ ६५ देखिये)

'हां' पक्ष ५३

क्रम संख्या	विभाजन संख्या	सदस्यों का नाम	क्रम संख्या	विभाजन संख्या	सदस्यों का नाम
१	१	श्री अवनिकुमार मुकर्जी	२८	६९	श्री कानसिंह
२	२	ले० क० राजाधिराज श्री अमरसिंह	२९	७३	श्री केसरीसिंह (सोजत मुख्य)
३	४	श्री अर्जुनसिंह	३०	७५	महाराज श्री केसरी सिंह (पाटन)
४	८	श्री बेलजी	३१	७६	राव सवाई श्री केसरीसिंह (मांडल गढ)
५	११	मेजर ठा. श्री भैरू सिंह (सोजत-देसूरी)	३२	७७	श्री खेतसिंह
६	१२	ठा० श्री भैरूसिंह (बाली-देसूरी)	३३	८३	श्री लालसिंह शक्तावत
७	१३	श्री भैरूसिंह (राजसमन्द-रेलमगरा)	३४	९३	श्री मंगलसिंह कछवाहा (जोधपुर तहसील उत्तर)
८	१६	श्री भैरूसिंह (दांता रामगढ)			
९	१७	ठा० श्री भीमसिंह	३५	९७	रावत श्री मानसिंह (महार)
१०	२०	श्री भोपालसिंह	३६	९८	राजा श्री मानसिंह
११	२३	राजकुमार श्री बृजेन्द्रपाल	३७	१००	श्री मोहब्बतसिंह
१२	२६	श्री चन्द्रकान्त राव	३८	११४	श्री नाथूसिंह
१३	३०	श्री छीतरलाल शर्मा	३९	११५	श्री प्रतापसिंह (चित्तोड)
१४	३६	ठा० श्री धर्मचन्द्र	४०	११७	श्री प्रतापसिंह (सुजानगढ)
१५	३९	ले०के०आर०एस०श्री दिलीपसिंह	४१	११८	श्री प्यारेलाल
१६	४१	श्री गंगासिंह	४२	१२१	मेजर आपजी श्री रघुराजसिंह
१७	४२	श्री गणपतसिंह	४३	१३२	केप्टिन श्री सज्जनसिंह
१८	४६	श्री जयसिंह राणावत	४४	१३४	श्री संग्रामसिंह
१९	४७	श्री गोपी लाल यादव	४५	१३५	महारावल श्री संग्रामसिंह
२०	५०	श्री हनवंतसिंह	४६	१३६	श्री संतोषसिंह कछवाहा
२१	५४	श्री हरिदत्त	४७	१३७	राव राजा श्री सरदारसिंह
२२	६१	श्री हिम्मतसिंह (अटरू)	४८	१३९	रावत श्री शम्भूसिंह
२३	६३	श्री ईश्वरीसिंह	४९	१४०	महाराज श्री शिवदानसिंह
२४	६४	श्री जगतसिंह झाला	५०	१४८	श्री तनसिंह
२५	६६	कु० श्री जसवन्त सिंह	५१	१५०	श्री तेजराजसिंह
२६	६७	श्री जवानसिंह सोलंकी	५२	१५१	कु० श्री तेजसिंह
२७	६८	श्री जयेन्द्रसिंह	५३	१६०	श्री हरिकृष्ण व्यास

Page No.73

'आ' पक्ष–६७

क्रम संख्या	विभाजन संख्या	सदस्यों का नाम
१	३	श्री अमृतलाल यादव
२	५	श्री बद्रीलाल
३	६	श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता
४	९	श्री भगवानसिंह तरंगी
५	१०	श्री भैरवलाल काला बादल
६	१५	श्री भवानीसिंह शर्मा
७	१८	श्री भागीलाल पंड्या
८	१९	श्री भोला नाथ
९	२१	श्री विश्वम्भरनाथ जोशी
१०	२७	श्री छंगा
११	३१	श्री चुन्नीलाल बिरला
१२	३१	श्री दामोदरलाल व्यास
१३	३४	श्री दीनबन्धु परमार
१४	३७	श्री धर्मपाल पंवार
१५	३८	श्री धूळजीभाई भवसार
१६	४०	श्री दुर्लभसिंह
१७	४३	श्री घासीराम
१८	४४	श्री घासीराम यादव
१९	४५	श्री घीसीसिंह कटेला
२०	४८	श्री गुलाबचन्द कासलीवाल
२१	४९	श्री गुरुदयालसिंह सन्धु
२२	५१	श्री हंसराज आर्य (भादरा)
२३	५२	श्री हंसराज जटिया (बारी)
२४	५३	श्री हरिदेव जोशी
२५	५६	श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री
२६	५८	सरदार श्री हरलालसिंह
२७	५९	श्री हजारीलाल शर्मा
२८	६५	श्री जयचन्द मोहिल
२९	७०	श्री कंवरलाल जेलिया
३०	७२	श्री कस्तूरचन्द
३१	८०	श्री कुम्भाराम आर्य
३२	८१	श्री लादूराम चौधरी
३३	८२	श्री लालबहादुर
३४	८४	श्री लालूराम
३५	८५	श्री लक्ष्मण हीरात
३६	९२	श्री महादेवप्रसाद बंका
३७	९४	डा० श्री मंगलसिंह (बारी)
३८	९५	श्री मन्ना भील
३९	९९	श्री मथुरादास माथुर
४०	१०१	श्री मोहम्मद इब्राहिम
४१	१०२	श्री मोहनलाल सुखाड़िया
४२	१०४	श्री मोटाराम चौधरी
४३	१०५	श्री मोतीचन्द खजांची
४४	१०६	श्री मोतीलाल चौधरी
४५	१०७	श्री मोतीराम
४६	११३	श्री नाथूराम मिर्धा
४७	११६	श्री प्रभुदयाल
४८	१२४	श्री रामजीलाल यादव
४९	१२५	श्री रामकरण जोशी
५०	१२६	श्री रामकिशोर व्यास
५१	१२७	श्री रामलाल बन्सीवाल
५२	१२८	श्री रामरतन टिक्कीवाल
५३	१३०	श्री रोशनलाल शर्मा
५४	१३३	श्री सम्पतराम
५५	१४१	श्री श्रीभानसिंह
५६	१४२	श्री श्रीदास गोयल
५७	१४३	श्री श्रीगोपाल भार्गव
५८	१४४	श्री श्यामलाल गोयल
५९	१४५	श्री सोहनलाल भटनागर
६०	१४६	श्री सोमा वालू भील
६१	१४७	श्री सुगनचन्द जैन
६२	१४९	श्री तेजमल बापना
६३	१५२	श्री तेजपाल
६४	१५३	श्री टीकाराम पालीवाल
६५	१५४	श्री त्रिवेणीश्याम शर्मा
६६	१५५	श्री उदयलाल बरदिया
६७	१५७	श्री वेदपाल त्यागी